

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**13 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5350**

**21-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**വാഹനം പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ**

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center"><b>ശ്രീ പി. കെ. ബഷീർ</b></p>	<p align="center"><b>ശ്രീ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ</b> <b>(ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b></p>
<p>(എ) സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയെല്ലാമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വാഹനം പൊളിക്കൽ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും അതിനായി നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അറിയിക്കുമോ;</p>	<p>(എ) കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) കേരളത്തിൽ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ പറഞ്ഞ 3 RVSF കളിൽ ഒരേണ്ണം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ K S R T C യുടെയും Brathwaite &amp; Co യുടെയും സംയുക്ത അഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുവാനും ബാക്കി 2 RVSF കൾ open tender വിളിച്ചു തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് GO(Rt) 421/2024/Trans dated 21/10/2024 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലകളെ 3 സോണുകളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഇപ്രകാരമാണ്.</p> <p><b>നോർത്ത് സോൺ:</b> കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, വയനാട്.</p> <p><b>സെൻട്രൽ സോൺ:</b> എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്.</p> <p><b>സൗത്ത് സോൺ:</b> തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം.</p> <p>മദ്ധ്യമേഖലയിൽ RVSF സ്ഥാപിക്കുവാൻ മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കെ എസ് ആർ ടി സി യ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും, ഉത്തരമേഖല, ദക്ഷിണ മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ RVSF സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയുമാണ്.</p>
<p>(ബി) വാഹനം പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ഇതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഇവയ്ക്കായി ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട</p>	<p>(ബി) കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ Registered Vehicle Scrapping Facility Rules, 2021 പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. RVSF സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നിഷ്കർഷിച്ചുകൊണ്ട്</p>

	<p>യോഗ്യതകൾ എന്നിവ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; വാഹന പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച കമ്പനികൾക്ക് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് മുൻഗണന ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് അറിയിക്കുമോ;</p>
<p>(സി) പ്രസ്തുത പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നത്തേക്ക് തുടങ്ങുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?</p>	<p>കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള 23/09/2021-ലെ GSR 653(E), 13/09/2022-ലെ GSR 695(E) എന്നീ വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ RVSF സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുകയാണ്. ടെണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.</p> <p>(സി) പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092021-229931  
CG-DL-E-24092021-229931

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537]  
No. 537]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASWINA 1, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 653(अ).—मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 190(अ) तारीख 15 मार्च, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान हो जाने से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

उक्त राजपत्र जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी की प्रतियां 16 मार्च, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया था।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 की धारा 59 की उपधारा (4) और खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 है।

(2) ये 25 सितंबर, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना –** ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे:-

(क) यान की सभी प्रवर्गों और उनके अंतिम स्वामियों, मोटर कार, संग्रहण केन्द्रों, आटोमेटिव विखंडन, स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग सुविधाओं और ओटोमेटिव अपशिष्ट उत्पादों की सभी प्रकार की रिसाइकलिंग;

(ख) क्रियाशील यान की समाप्ति के पर्यावरणीय ध्वनी प्रबंधन और ओटोमेटिव उद्योग मानक (एआईएस) 129 के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

**3. परिभाषाएं –** (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) "अपील प्राधिकारी" से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की रैंक से उपर का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के नियम (9) के उपनियम (5) के अनुसार किए गए कार्य के विरुद्ध अपील नियम 15 के अधीन निर्दिष्ट की जा सके;

(ग) "निक्षेप प्रमाणपत्र" से रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा और निरूपण के लिए रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वामी से यान के स्वामी को अंतरण की मान्यता के लिए, जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(घ) "यान स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र" से किसी यान के अंतिम निपटान की मान्यता के लिए रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "संग्रहण केन्द्र" से कोई सुविधा या कोई क्षेत्र जो केवल संग्रहण के प्रयोजन और क्रियाशील यान की समाप्ति के भंडारण और स्क्रैपिंग यार्ड पर और प्रसंस्करण हेतु इसे भेजने के लिए प्रयुक्त किया जा सके, अभिप्रेत है;

(च) "क्रियाशील यान की समाप्ति" से सभी यान जो अब वैध रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं रह गए हैं या ओटोमेटिड फिटनेस केन्द्र के माध्यम से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं या जिनका रजिस्ट्रीकरण, इस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन या किसी न्यायालय के आदेश के कारण या इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट किसी परिस्थिति के कारण वैध रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा उसे अपशिष्ट यान के रूप में स्वतः घोषित किया गया हो, रद्द कर दिया गया हो, अभिप्रेत है;

(छ) "अंतिम निपटान" से यान का ऐसा निरूपण अभिप्रेत है जिसके कारण यान अब इस रूप में उपयोग करने में और सक्षम नहीं है जिसका साक्ष्य चेसिस का कटना और इसके इंजन का निपटान है;

(ज) "रिसाइकलिंग" से मूल प्रयोजन के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए किसी पर्यावरणीय ध्वनि रीति में अपशिष्ट का सुधार और प्रसंस्करण अभिप्रेत है;

(झ) "क्रियाशील यान की समाप्ति का रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से,-

(i) अधिनियम की धारा 2 के खंड (30) में यथापरिभाषित वाहन का स्वामी; या

(ii) कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम, 57 के अनुसार पब्लिक नीलामी में वाहन के स्वामित्व को प्राप्त करता है, अभिप्रेत है;

(ज) "रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर" से कोई व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी, न्यास या रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के स्वामित्व रखने वाली और प्रचालन करने वाली कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(ट) "रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा" से कोई ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जो विखंडन और स्क्रैपिंग प्रचालन को जारी रखने के लिए इन नियमों के अधीन जारी किया गया यान स्क्रैपिंग के लिए रजिस्ट्रीकरण धारण करता हो;

(ठ) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो आयुक्त (परिवहन) की रैंक से नीचे का न हो और इस प्रयोजन के लिए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ड) “स्क्रैपिंग” से अभिप्रेत है, ‘क्रियाशील यान की समाप्ति’ की प्राप्ति और रिकोर्ड से पुरी प्रक्रिया जिसमें डिपोल्यूटिंग, विखंडन, सामग्री का पृथक्करण, गैर-पुनः प्रयोज भागों का सुरक्षित निपटान और मोटर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को यान स्क्रैपिंग के प्रमाणपत्र का जारी किया जाना, शामिल हैं;

(ढ) “स्क्रैपिंग यार्ड” से रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के परिसर के भीतर नामनिर्दिष्ट अवस्थान जहां क्रियाशील यान की समाप्ति के और निरूपण जिसमें रिसाइकलिंग शामिल हैं, के लिए प्रसंस्करण किया जा रहा है, अभिप्रेत है;

(ण) “निरूपण” से क्रियाशील यान की समाप्ति के पश्चात् कोई क्रियाकलाप जिसमें डिपोल्यूटिंग, विखंडन, कतरने, शीर्ण करने, शीर्णक अपशिष्ट के निपटान के लिए रिकवरी या तैयारी और क्रियाशील यान के समाप्ति की रिकवरी या निपटान के लिए अन्य चलाए गए प्रचालन और उसके घटक के लिए रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के संग्रहण केन्द्र को सुपुर्द करना अभिप्रेत है;

(त) “यान” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (28) में यथापरिभाषित मोटर यान या यान अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

**4. रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा की शक्तियां और कर्तव्य.-** (1) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा को युजर आईडी, पासवर्ड संरक्षण के साथ यान रजिस्ट्रीकरण के वाहन डाटाबेस के लिए कनेक्टिविटी और पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी और जो या तो प्रत्यक्ष या उनके संग्रहण केन्द्र के माध्यम से यान की स्क्रैपिंग संबंधि युक्तियुक्त प्रविष्टियों को करने और निक्षेप के प्रमाणपत्र और स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए अधिकृत होगी;

(2) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा वाहन डाटाबेस के लिए सुरक्षित पहुंच हेतु आईटी तंत्र के लिए आवश्यक साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र अवश्य रखेगी;

(3) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा को राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो के साथ-साथ स्थानीय पुलिस द्वारा धारित चोरी हुए यानों के डाटाबेस के साथ स्क्रैपिंग के लिए प्रस्तुत यानों के रिकोर्ड के सत्यापन के लिए आवश्यक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी और किसी यान की स्क्रैपिंग से पहले ऐसे सत्यापन को करने का रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा का कर्तव्य होगा;

(4) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा यान स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की वास्तविकता का अवधारण करने के लिए स्क्रैपिंग हेतु यान को सोंपने वाले व्यक्तियों का सत्यापन करेगा और छह मास की न्यूनतम अवधि के लिए उसकी एक प्रति अभिलेख के लिए रखेगा;

(5) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2 के खंड (गघ) के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के लिए सुविधाकरण केन्द्र के रूप में मान्यताप्राप्त होगी।

**5. रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के लिए पात्रता की शर्तें –** राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार नियम 6 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा को प्राधिकार प्रदान करते समय निम्नलिखित पात्रता मानदंड को ध्यान में रखेगी, अर्थात्:-

(क) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा किसी विधिक अस्तित्व चाहे वह ऐसा व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी, कंपनी या विधिज्ञ के अनुसार स्थापित न्यास हो, जिसके पास निम्नलिखित दस्तावेज हो, के स्वामित्वधिन हो सकेगी या उसके द्वारा प्रचालित की जा सकेगी जिसके पास,-

(i) निगमन प्रमाणपत्र या दुकान अधिनियम रजिस्ट्रीकरण या उद्यम आधार हो;

(ii) वैध माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण; और

(iii) वैध स्थायी खाता संख्या हो।

(ख) अस्तित्व, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार से जिसमें रजिस्ट्रीकरण यान स्केपिंग सुविधा अवस्थित करने का आशय है, के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से स्थापन के लिए सहमती हेतु आवेदन करेंगे या अनुमोदन प्राप्त करेंगे;

(ग) अस्तित्व, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संग्रहण और विखंडन के लिए अपेक्षित न्यूनतम तकनीक पाने के लिए वचनबद्ध होगा;

(घ) अस्तित्व, सुरक्षित और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व रीति में डिपोल्यूटिंग और विखंडन क्रियाकलापों को करने के लिए सक्षम, जनशक्ति और युक्तियुक्त उपस्कर रखेगा;

(ङ) अस्तित्व, रजिस्ट्रीकृत यान स्केपिंग सुविधा के रूप में प्रचालन के प्रारंभ से बारह महीनों के भीतर आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र) या आईएसओ 14001 (पर्यावरणीय प्रमाणपत्र) या आईएसओ 45001 (व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा) के अपेक्षित गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध होगा;

(च) अस्तित्व, प्रचालन के प्रारंभ से छह मास की अवधि के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रचालन के लिए सहमती प्राप्त करने के लिए एक वचनबद्ध रखेगा या उपलब्ध कराएगा;

(छ) अस्तित्व, सभी लागू श्रम संहिताओं और सभी अन्य अधिनियमों या यथालागू नियमों के उपबंधों को पालन करने के लिए वचनबद्ध होगा;

(ज) अस्तित्व, स्वामित्व या विक्रय के करार या कम से कम तीन वर्ष की अवधि के पट्टे के लिए करार के द्वारा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के ओरेंज श्रेणी औद्योगिक क्षेत्र में भूमि के पर्याप्त उपयोगी क्षेत्र की उपलब्धता का साक्ष उपलब्ध कराएगा;

(झ) अस्तित्व, नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट आवश्यक साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र रखेगा;

(ञ) अस्तित्व, अनुमोदित संयंत्र लेआउट और भवन योजना उपलब्ध कराएगा।

**6. रजिस्ट्रीकृत यान स्केपिंग सुविधा के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया,-** (1) कोई आवेदक संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार जहां रजिस्ट्रीकृत यान स्केपिंग सुविधा को अवस्थित करने का आशय है, के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को संबोधित करते हुए विहित प्ररूप 1 में आवेदन कर सकेगा जिसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे,-

(i) स्थापित किए जाने वाली प्रस्तावित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत यान स्केपिंग सुविधा के लिए 1,00,000 / - (एक लाख रु. मात्र) की अप्रतिदाय प्रसंस्करण फीस; और

(ii) स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत यान स्केपिंग सुविधा के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के पक्ष में 10,00,000/- (दस लाख रूपए) की बैंक गारन्टी के रूप में अग्रिम धन निक्षेप या आरंभिक रजिस्ट्रीकरण अवधि जमा नब्बे दिन की वैधता के साथ सहविस्तारी, अवधि के लिए गैर ब्याज धारक प्रतिभूति निक्षेप के रूप में।

- (2) रजिस्ट्रीकरणकी स्वीकृति के लिए सभी आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा आवेदन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर निपटाए जाएंगे।
- (3) आवेदन, जिन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, को प्ररूप-1ए, के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- (4) उन आवेदनकर्ताओं जिनके आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं, उन्हें उनका बयाना राशि या बैंक गारंटी वापिस कर दिया जाएगा।
- (5) केन्द्रीय सरकार सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए जिस पर आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक फीस के साथ आवेदन करेगा, एक पोर्टल का विकास करेगी।

- (6) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार विभिन्न अभिकरणों (श्रम, प्रदूषण इत्यादि) से आंतरिक अनुमोदन सहित 60 दिनों के भीतर निर्धारित समय में प्रस्ताव को पास करेगी, ऐसे आवेदन को प्रस्तुत करने के बाद ही प्रस्ताव को अनुमोदित समझा जाएगा।
- (7) ऐसे पोर्टल को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से 6 माह के भीतर संचालित किया जाएगा और उस समय तक, जब तक कि यह पोर्टल प्रचालित हो जाता है, इन मामलों में कार्यवाहियों संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा हस्तचालित रूप से की जाएगी।
- (8) उपनियम (5) में संदर्भित पोर्टल के प्रचालन के पश्चात सभी उत्तरवर्ती अनुमोदनों आदि को पोर्टल के माध्यम से मंजूरी दी जाएगी और रजिस्ट्रीकृत स्कैपिंग यान सुविधा के निरीक्षण और संपरीक्षा संबंधी रिपोर्टें पोर्टल पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- (9) ऐसे रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग यान सुविधा की स्थापना या संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग और यथा आवश्यक किसी अन्य विभाग द्वारा आवश्यक अनुमोदन केवल इसी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- (10) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार पोर्टल पर नागरिक चार्टर और ऐसे पोर्टलों पर अनुमोदन की मंजूरी के लिए प्रक्रिया प्रकाशित करेंगे।
- (11) यह प्रक्रिया पारदर्शी तथा सुचारु होनी चाहिए और सभी अधिसूचनाएं, मार्गदर्शक सिद्धांत, प्ररूप आदि उपनियम (6) में स्थापित पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे और आवेदन इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाएंगे तथा इनका निपटान निर्धारित समय में किया जाएगा।

**7. रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता और नवीनीकरण.--** (1) नियम 6 के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जिसका एक बार 10 वर्षों के लिए और नवीनीकरण किया जाएगा, जो इस शर्त के अधीन होगा कि रजिस्ट्रीकृत स्कैपर नियम 14 में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों का व्यतिक्रमी नहीं है।

(2) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए कोई आवेदन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से तीन माह पहले किया जा सकेगा।

(3) नवीनीकरण के लिए आवेदन प्ररूप-1 में किया जाएगा और आवेदन के साथ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट नवीनीकरण फीस और प्रतिभूति जमा की जाएगी।

(4) रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण प्ररूप-1क के अनुसार जारी किया जाएगा।

(5) इस नियम के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण अंतरणीय नहीं होगा।

**8. यानों की स्कैपिंग के लिए मानदंड.--** निम्नलिखित यानों को रजिस्ट्रीकृत स्कैपर को स्कैप करने के लिए पेश किया जा सकता है:

(i) जिन यानों ने केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 52 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं किया है।

(ii) जिन यानों को केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 62 के अनुसार उपयुक्तता प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है।

(iii) यान जो आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके बाद रजिस्ट्रीकृत स्वामी स्वयं उसे स्कैप के रूप में प्रमाणित करता है।

(iv) यान, जो सरकार के केन्द्रीय या राज्य संगठनों द्वारा अप्रचलित या अधिशेष या आर्थिक मरम्मत से परे घोषित किए गए हैं और स्कैपिंग के लिए पेश किए गए हैं।

(v) रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा सहित किसी भी एजेंसी द्वारा स्कैपिंग के लिए नीलामी में खरीदे गए यान।

(vi) यान जो विशेष रूप से खनन, राजमार्ग, बिजली, खेतों आदि में परियोजनाओं के लिए अपनी उपयोगिता या उपयोजन से अधिक समय तक टिका हुआ हो जैसा कि यान स्वामी द्वारा स्व-प्रमाणित किया जाए।

(vii) विनिर्माण के लिए खारिज किए यान, परीक्षण यान, प्रोटोटाइप, यान मूल उपस्कर विनिर्माता से व्यौहारी को परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त यान या अविक्रीत अथवा अरजिस्ट्रीकृत जैसा कि यान मूल उपस्कर विनिर्माता द्वारा सत्यापित किया जाए।

(viii) किसी भी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा नीलाम किए गए, जब्त किए गए और छोड़ दिए गए यान।

(ix) अन्य कोई यान जो स्वामी द्वारा स्कैपिंग के लिए रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा को स्वेच्छया प्रस्तावित किया जाए।

**9. निरीक्षण का अधिकार.--**(1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र सरकार के नामित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत स्कैपर को रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा में यानों के संव्यवहार और स्कैप जनन के बारे में अभिलेख और प्राधिकृत रिसाइकलर्स से इसका जिम्मेदार निपटान और रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा परिसर में सभी मशीनरी, उपस्कर और उपकरण तैयार रखना चाहिए।

(2) वास्तविक निरीक्षण और साइट का दौरा नीचे यथा सूचीबद्ध प्रक्रिया के निष्पादन के पश्चात् ही किया जाएगा:-

(i) जब उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा गैर अनुपालना की रिपोर्ट अथवा रजिस्ट्रीकृत स्कैपर के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा जन शिकायत प्राप्त की गई है।

(ii) इस तरह की शिकायत को रजिस्ट्रीकृत स्कैपर को सात कार्य दिवसों के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने के लिए भेज दिया गया है।

(iii) प्रत्युत्तर की छानबीन की गई है और रजिस्ट्रीकृत स्कैपर को तीन कार्य दिवसों के भीतर और स्पष्टीकरण प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया है।

(iv) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की राय में किया गया प्रत्युत्तर और स्पष्टीकरण अपर्याप्त हैं, और साइट का एक निरीक्षण आवश्यक है।

(3) इस तरह के साइट के दौरे को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

(4) निरीक्षण दल की रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकृत स्कैपर को मुहैया करायी जाएगी।

(5) इन नियमों के अनुपालन की दशा में रजिस्ट्रीकृत स्कैपर को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने के बाद रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी सुविधा के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या निलंबित करने का मौखिक आदेश पारित कर सकता है।

**10 स्कैपिंग प्रक्रिया:-**(1) रजिस्ट्रीकृत स्कैपर द्वारा सभी एंड टू लाईफ यानों के संबंध में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए यानों की स्कैपिंग की जाएगी, अर्थात्:-

(i) रजिस्ट्रीकृत स्वामी या प्राधिकृत प्रतिनिधि यान को प्ररूप-2 के अनुसार आवेदन की दो मूल प्रतियों के साथ रजिस्ट्रीकृत स्कैपर या निक्षेप के लिए अभिहित संग्रहण केंद्र को यान सौंपेंगे।

(ii) यदि यान का विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण नहीं है, तो रजिस्ट्रीकृत स्कैपर या उसका अभिहित केंद्र, वाहन डेटाबेस के अनुसार रजिस्ट्रीकृत स्वामी की पहचान का मिलान यान सौंपने वाले व्यक्ति के साथ करेंगे और यान प्राप्त करेंगे तथा वाहन डेटाबेस से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रसीद जारी करेंगे।

(iii) प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जब्त किये गए यानों को रजिस्ट्रीकृत स्कैपर को सौंपा जाएगा।

(iv) किसी यान की स्कैपिंग से पहले रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा की ओर से यान स्कैपिंग के लिए प्रस्तुत किए गए यानों के रिकॉर्ड का सत्यापन राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के साथ ही स्थानीय पुलिस द्वारा जब्त चोरी किए यानों के डेटाबेस के साथ करना अनिवार्य होगा।

(v) रजिस्ट्रीकृत स्कैपर को स्वामी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्ररूप -2 के साथ निम्नलिखित लागू मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

(क) रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र।

(ख) रजिस्ट्रीकृत स्वामी से प्राधिकार।

(ग) उत्तराधिकार के मामले में, उत्तराधिकारी के किसी भी प्रमाण के साथ रजिस्ट्रीकृत स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र।

(घ) नीलामी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अपने पक्ष में किसी सार्वजनिक नीलामी में यान की विक्रय की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र या आदेश।

(ङ) स्वामी या प्रतिनिधि प्ररूप-2 के पैरा 4 के अनुसार से वचनबंध लेना जो यह दर्शाता है कि यान का कोई लंबित आपराधिक रिकॉर्ड या मुकदमा नहीं है और यान पर कोई शोध्य लंबित नहीं है।

(vi) रजिस्ट्रीकृत स्कैपर यह सत्यापित करेगा कि अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में भाड़ा क्रय, पट्टे या भाड़ाक्रांति करार का सम्यक रूप से निर्वहन किया गया है और इस प्रभाव का एक बचनबंध स्वामी या प्रतिनिधि द्वारा प्ररूप-2 के पैरा 4 में भी दिया जाएगा।

(vii) रजिस्ट्रीकृत स्कैपर द्वारा स्वामी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां स्वीकार की जायेगी।

(क) स्वामी के स्थायी खाता संख्या कार्ड की प्रति;

(ख) स्वामी के बैंक खाते का रद्द चेक;

(ग) प्राधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो) को पहचान का सबूत जैसे पासपोर्ट, मतदाता पत्र, आधार पत्र, चालन अनुज्ञप्ति, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र;

(घ) स्वामी के पते का सबूत जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, लैंड लाइन टेलीफोन का बिल, पाइपड कुकिंग गैस का बिल;

(ङ) रजिस्ट्रीकृत स्कैपर को एंड टू लाईफ यान सौंपने वाले स्वामी या प्राधिकृत प्रतिनिधि की डिजिटल फोटो या प्ररूप-2 में सम्यक रूप से चिपकाया गया स्वामी या प्रतिनिधि का फोटो और स्वामी या प्रतिनिधि द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो;

(viii) रजिस्ट्रीकृत स्कैपर विधिवत् प्राप्त किया गया दूसरा प्ररूप-2 स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को लौटा देगा और यान के स्वामित्व के अंतरण के साक्ष्य के रूप में जमा प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(ix) किसी राज्य में स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा किसी भी रजिस्ट्रीकृत प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकृत यानों को स्वीकार और स्कैप कर सकता है।

(x) पूरी प्रक्रिया वाहन के साथ सुचारू रूप से जुड़ी होगी और अखिल भारत के आधार पर किसी भी यान रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की अवस्थिति पर ध्यान दिए बिना होगी।

(xi) रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा अनुरोध को इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यान को अरजिस्ट्रीकृत कराने के लिए सड़क परिवहन कार्यालय या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र (मोहर लगा हुआ या पंच किया हुआ) के पारेषण को सुकर बनाएगा।

(xii) 'जमा प्रमाणपत्र' स्वामी के लिए एक नया यान खरीदने के लिए समय-समय पर लागू किए गए प्रोत्साहन और फायदा प्राप्त करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा।

(xiii) 'जमा प्रमाणपत्र' व्यापार करने योग्य होगा और इसका एक बार उपयोग किए जाने के बाद एजेंसी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र धारक को फायदा प्रदान करते हुए इसे स्थगित किया जाएगा।

(xiv) निक्षेप के प्रमाण पत्र को अधिकरण या व्यौहारी द्वारा "रद्द किया गया" के रूप में स्टांपित किया जाएगा और उसे वाहन डेटा बेस में इस रूप में अंकित किया जाएगा।

(xv) निक्षेप प्रमाण पत्र के विरुद्ध खरीदे गए नए यान का रजिस्ट्रीकरण करने वाला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय निक्षेप प्रमाण पत्र को सत्यापित और अधिप्रमाणित कर सकेगा।

(xvi) रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर यान के लिए सहमत राशि का डिजिटल तरीके से या आदाता खाता चेक से भुगतान करेगा और रिकॉर्ड के लिए स्वामी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से उसकी एक रसीद प्राप्त करेगा।

(xvii) नियम 11 के अधीन जारी किए गए यान स्क्रेपिंग प्रमाण पत्र को जारी किए जाने की तारीख के छह मास की अवधि के लिए चेसिस सं० के कटे हुए टुकड़े को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की जिम्मेवारी रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर की होगी।

(xviii) रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर रिकार्ड और निरीक्षण के दौरान जांच के लिए सभी दस्तावेजों की वास्तविक प्रति बनाए रखेगा और उन दस्तावेजों की स्कैन की हुई डिजिटल प्रति दस वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित रखी जाएगी।

(xix) रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर यह सुनिश्चित करेगा कि क्रियाशील यान समापन का पर्यावरणीय रूप से ध्वनि प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धान्तों और एआईएस-129 के अनुसार स्क्रेप किए गए यानों के परिसंकटमय पुर्जों निवारण, पुनःचक्रण या निपटान किया गया है।

(xx) यानों का तब तक स्क्रेप नहीं किया जाएगा जब तक ईंधन, तेल, एंटीफ्रीज और अन्य गैसों, तरल पदार्थों आदि को निकाल न लिया जाए और उन्हें प्रमाणित मानक आधानों में एकत्रित न कर लिया जाए।

(xxi) स्क्रेप किए गए यानों का एक डिजिटल रजिस्टर, प्ररूप 3 में अनुरक्षित किया जाएगा।

**11. स्क्रेपिंग यान का प्रमाण पत्र जारी करना—**(1) रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर, आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात्, स्क्रेपिंग यान का एक डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसके अंतर्गत प्ररूप-4 में चेसिस के कट आउट का एक डिजिटल फोटो, राष्ट्रीय रजिस्टर, वाहन डेटाबेस को अद्यतन करने और राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु संसूचित करने के लिए भी है।

(2) स्क्रेप किए हुए यानों का पृथक रिकार्ड केंद्रीय सरकार द्वारा वाहन डेटाबेस पर अनुरक्षित किया जाएगा।

**12. सीसीटीवी कैमरों का संस्थापन –** (1) रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर, स्क्रेपिंग यार्ड, ग्राहक और यान स्वागत क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों का संस्थापन करेगा और स्क्रेपिंग का रिकार्ड तीन कलेंडर मासों की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर के आईटी सिस्टम पर सुरक्षित रखा जाएगा।

(2) सुविधा में संस्थापित सीसीटीवी कैमरों की पहुंच, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा यथा अपेक्षित प्राधिकृत अभिकरणों को सीसीटीवी कैमरों की फुटेज उपलब्ध कराई जा सकेगी।

**13. स्क्रेपिंग यार्ड और संग्रहण केंद्र—**(1) स्क्रेपिंग यार्ड ऐसे उचित क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा जिसमें सुविधा द्वारा प्रबंधन किए जाने वाले स्क्रेप के बड़े आकार और प्रकृति के अनुरूप यानीय आवागमन, यानों या प्राप्त मर्दों और पुनचक्रणयोग्य प्राप्त सामग्री के भंडारण के लिए स्थान हो।

(2) स्क्रेपिंग यार्ड, क्रियाशील यान समापन, धवल माल और अन्य स्क्रेप का प्रबंधन करने, प्रदूषण निवारण और विघटन करने के लिए दरवाजा लगा हुआ एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें विकिरण को मापने के लिए सुविधा भी हो जैसा स्क्रेप के आयात के लिए अनुपालन किया जाता है।

(3) सामग्री प्रबंधन करने वाली मशीनों का मानवीय हस्तक्षेप कम करने और सुरक्षित कार्य स्थल बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

(4) सभी स्क्रेपिंग यार्ड, क्रियाशील यान समापन, माल और अन्य स्क्रेपों की प्रक्रिया में सक्षम और प्रशिक्षित जनशक्ति लगायेंगे।

(5) स्क्रेपिंग यार्ड में शुष्क क्षेत्र (जल भराव से मुक्त), अभेद्य सतह जैसे डामर या ठोस फर्श, डामर या कंक्रीट सड़क, सुरक्षित कार्यस्थल के रखरखाव को बनाए रखने के लिए आंतरिक रखरखाव के लिए पर्याप्त कार्यशाला सुविधाओं, अग्नि सुरक्षा प्रणाली आदि और प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए अन्य सभी अपेक्षित उपाय हों।

(6) स्क्रेपिंग यार्ड, प्रदूषण निवारक संयंत्र से सुसज्जित होगा, अधिमानतः शून्य निस्सारण संयंत्र और विघटन कार्य, क्रियाशील यान समापन, मालों और अन्य स्क्रेपों का प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा किया जाएगा।

(7) स्क्रेपिंग यार्ड,सुसंगत स्वास्थ्य और सुरक्षा विधान या विनियम और पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन करेगा।

(8) स्क्रेपिंग यार्ड में निम्नलिखित होगा –

- (क) गैर-पारगम्य डामर या कंक्रीट या इपॉक्सी लेपित फर्श, पर्याप्त जल निकासी की सुविधा के साथ, पर अपशिष्ट यानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त अभिनिश्चित क्षेत्र और यहां तक कि आवेदनों के जमा करने की प्रक्रिया के दौरान भी कोई अपशिष्ट या संभावित अपशिष्ट यान सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क नहीं किया जाएगा, और केवल रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपिंग यान सुविधा के परिसरों के भीतर ही समायोजित किया जाएगा।
- (ख) ईंधन या तरल पदार्थ या गैसों और तरल पदार्थों की निकासी के दौरान प्रदूषकों का शून्य रिसाव सुनिश्चित करने हेतु प्रमाणित प्रदूषण निवारक उपस्कर, सुरक्षा निराकरण या एयरबैग को हटाने, प्री-टेंशनर आदि के लिए प्रमाणित जोखिम निवारक उपस्कर, परिभाषित गतिविधियों (जैसे जोखिम निवारण, प्रदूषण निवारण, विघटन, छोटे छोटे टुकड़े करना, कर्तन, बेलिंग आदि) के लिए उपयुक्त विघटन करने वाले उपस्कर, अलग किए हुए स्क्रेप के भंडारण के लिए अभिहित क्षेत्र, अलग किए हुए पुर्जों का प्रबंधन और भंडारण करने के लिए पर्याप्त स्थान, ऑटोमोटिव परिसंकटमय अपशिष्ट जैसे टायरों, बैटरियों, ईंधन, तेलों, तरल पदार्थों और गैसों के अस्थायी भंडारण के लिए अभिहित स्थान, उपयुक्त सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपस्कर, पुर्जों, आदि के सुरक्षित परिवहन के लिए सामग्री प्रबंधन करने वाले उपस्कर।
- (ग) उपयुक्त औद्योगिक श्रेणी प्रकाशन और संवातन संयंत्र, ध्वनि प्रदूषण मानदंडों की अनुरूपता और उपयुक्त अपशिष्ट उपचार संयंत्र या जल पुनर्चक्रण संयंत्र।

(9) स्क्रेपिंग यार्ड, संचालन प्रारम्भ होने के बारह मास के भीतर गुणवत्ता मानकों अर्थात् आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 45001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा) के नवीनतम संस्करणों के साथ वे स्वयं का प्रत्यायन कराएंगे।

(10) यदि स्क्रेपिंग यार्ड में परिसंकटमय अपशिष्ट (जैसे ई-अपशिष्ट, सीसा अम्ल बैटरी, लिथियम आयन घटक, या दुर्लभ भू-धातुओं की प्राप्ति, आदि) के पुनर्चक्रण के लिए या ऐसी स्क्रेप सामग्री के पुनर्चक्रण, जो इसकी परिधि से परे है, के लिए पर्याप्त क्षमता या उपबंध नहीं हैं, तो ऐसी सामग्रियों को सम्यक रूप से प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या एजेंसियों को विक्रय किया जाएगा, जिनके पास पर्याप्त क्षमता और अनुज्ञप्ति है।

(11) संव्यवहारों का एक रिकॉर्ड, स्पष्ट रूप से ऑफ-लोडेड वॉल्यूम और प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता या एजेंसी का नाम, प्राधिकरण संख्या, स्थायी खाता संख्यांक, माल और सेवा कर और अन्य व्यावसायिक ब्यौरे देते हुए रखा जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड आवधिक लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

(12) किसी रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा द्वारा स्कैपिंग यार्ड से भिन्न किसी अन्य स्थान पर संग्रहण केंद्र स्थापित किए जा सकेंगे, यदि संग्रहण केंद्र ऐसे क्रियाकलाप जैसे प्रदूषण निवारण और विघटन करता है तो स्कैपिंग यार्ड को लागू अपेक्षाएं ऐसे संग्रहण केंद्र को भी लागू होंगी।

**14. लेखा परीक्षा और प्रमाणन –** (1) रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा का इन नियमों की अनुपालना के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा संपरीक्षा की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की ओर से केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 126 में विनिर्दिष्ट कोई अभिकरण या उसी सूची में कोई अभिकरण निम्नलिखित कार्य कर सकेगा, -

(क) नियामक और अनुपालन लेखा संपरीक्षा; और

(ख) रजिस्ट्रीकृत स्कैपिंग यान सुविधा द्वारा प्ररूप 3 में यथा अनुरक्षित मास फ्लो विवरण की संपरीक्षा।

(3) संपरीक्षा रिपोर्ट, रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा को उनके प्रदर्शन के निबंधन अनुसार और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा अनुपालन, विनियामक, कारबार, पर्यावरण और श्रम मानकों की अनुपालना तथा रजिस्ट्रीकृत स्कैपर द्वारा प्राप्त हुई प्ररूप 3 में अभिलिखित संबंधित पुनर्चक्रण दरों, मास फ्लो की जानकारी के आधार पर श्रेणी देगी और मूल्यांकन करेगी।

(4) ऐसी लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट, रजिस्ट्रीकृत स्कैपर द्वारा किसी वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए वार्षिक रूप से पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और उस वित्तीय वर्ष के 31 मई (वित्तीय वर्ष के पूरा होने के दो मास के भीतर) तक प्रस्तुत की जाएगी।

(5) लेखा संपरीक्षा में रिपोर्ट किए गए गैर अनुपालन बाबत संप्रेक्षणों को लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट के जारी होने के दो मास के भीतर रजिस्ट्रीकृत स्कैपर द्वारा सुलझा लिया जाएगा जिसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अधिकतम एक मास तक बढ़ाया जा सकेगा।

(6) रजिस्ट्रीकृत स्कैपर यह सुनिश्चित करेगा कि आईएसओ प्रमाणन उनकी समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व पुनः विधिमान्य किए हैं।

**15. अपील—**(1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन पारित किसी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) अपील, एक सादे आवेदन प्रारूप में, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के आक्षेपों के आधारों को बताते हुए की जाएगी और उसके साथ उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की एक प्रमाणित प्रति और 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) की फीस संलग्न की जाएगी।

(3) अपीलीय प्राधिकरण, अपील की तारीख से तीस कार्य दिवस के भीतर अपील का निपटान करेगा।

**प्ररूप-1**  
**[खंड 6(1) देखें]**

**रजिस्ट्रीकृत वाहन स्कैपिंग की सुविधा (आरवीएसएफ) के लिए आवेदन**

<b>निम्न के लिए आवेदन</b>	<b>कृपया लागू होने पर टिक करें</b>
एक नए आरवीएसएफ के लिए रजिस्ट्रीकरण	
विद्यमान आरवीएसएफ के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण	
विद्यमान रजिस्ट्रीकरण में संशोधन	

**1. कार्यालय उपयोग के लिए**

आवेदन संख्या	
आवेदन तारीख	
तारीख	
शुल्क	
सुरक्षा जमा	

**2. साधारण जानकारी**

i	नाम								
ii	पता								
iii	टेलीफोन								
iv	फैक्स								
v	ई-मेल								
vi	सीआईएन								
vii	पैन सं.								
vii	जीएसटी								
viii	स्थिति	कंपनी	फर्म	ट्रस्ट	समाज	स्वामि	सरकारी	जेवी	पीपीपी
x	संलग्नक	एमओए					एओए		
xi	कंपनी की विद्यमान क्रियाकलाप (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड)								

**3. संयंत्र विवरण**

क	स्थान (मानचित्र प्रदान करें)		
ख	क्षेत्र (वर्ग मीटर)		
ग	अधिकृत क्षेत्र का विवरण	स्वामित्व	पट्टा/अवधि वर्ष

घ	राज्य	
ङ	जिला	
च	औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी	

4. <u>कंपनी की प्रस्तावित क्रियाकलाप</u>	एल वाहन	हाँ	नहीं	क्षमता		अदद
	एम वाहन	हाँ	नहीं	क्षमता		अदद
	एन वाहन	हाँ	नहीं	क्षमता		अदद
	अन्य	हाँ	नहीं	क्षमता		अदद
5. <u>प्रस्तावित पूंजी संरचना (लाख रुपये)</u>	प्राधिकृत					
	सदस्यता					
	प्रदत्त					
6. <u>कर्मचारियों की प्रस्तावित संख्या</u>						

#### 7. स्थान की उपलब्धता

क	निम्नलिखित स्थानों और क्षेत्रों (वर्गमीटर) प्रदर्शित करते हुए संयंत्र डिजाइन और ले आउट: -	
ख	अपशिष्ट वाहनों (वर्गमीटर) की सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पार्किंग के लिए प्रयोजन विशिष्ट क्षेत्र	
ग	अलग किए गए स्क्रेप (वर्गमीटर) के भंडारण के लिए निर्धारित क्षेत्र	
घ	स्क्रेप और अपशिष्ट उत्पादों (वर्गमीटर) के लिए निर्धारित स्थान	
ङ	स्वचालित ऑटोमोटिव हानिकारक कचरे (वर्गमीटर) के अस्थायी भंडारण क्षेत्र के लिए निर्धारित स्थान	
च	पुर्जों, स्क्रेप और अपशिष्ट उत्पादों (वर्गमीटर) के सुरक्षित परिवहन की पार्किंग स्थान का उपबंध	

#### 8. उपकरणों की उपलब्धता

क	प्रमाणित अ-प्रदूषणकारी उपकरण	हाँ	नहीं
ख	प्रमाणित खतरा विहीन उपकरण	हाँ	नहीं
ग	सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपकरण	हाँ	नहीं
10	वाहन डाटा बेस तक सुरक्षित पहुंच के लिए आईटी प्रणाली के लिए सुरक्षा प्रमाणपत्र	हाँ	नहीं

#### 11. पर्यावरणीय मंजूरी

क	स्थापित करने के लिए सहमति	
---	---------------------------	--

ख	संचालित करने के लिए सहमति	
---	---------------------------	--

12	वाहन डाटाबेस के लिए आवेदन संख्या	
----	----------------------------------	--

**13. उपक्रम**

	आवेदक वचन देता है कि		
क	कचरा वाहन के सुरक्षित निपटान के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा	हाँ	नहीं
ख	रजिस्ट्रीकरण जारी होने के 12 महीने के भीतर गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करें		
	i	आईएसओ 9001	हाँ
	ii	आईएसओ 14001	हाँ
	iii	आईएसओ 45001	हाँ
ग	खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (2016) का पालन करेगा		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :

कंपनी की मुहर

तारीख :

**प्ररूप-1क**  
**[खंड 6(3) और 7(4) देखें]**

**रजिस्ट्रीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ)**

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार रजिस्ट्रीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा की स्थापना के लिए रजिस्ट्रीकरण करने का अनुमोदन कर दिया है:

1.	आवेदक						
2.	स्थान						
3.	आवेदन संख्या						
4.	आवेदन तिथि						
5.	अनुमोदन	हाँ		नहीं		पुनःप्रस्तुत करना	
6.	प्रवर्ग	एल वाहन	हाँ	नहीं	वार्षिक क्षमता		संख्या
		एम वाहन	हाँ	नहीं	वार्षिक क्षमता		संख्या
		एन वाहन	हाँ	नहीं	वार्षिक क्षमता		संख्या
		अन्य	हाँ	नहीं	वार्षिक क्षमता		संख्या
7.	रजिस्ट्रीकरण संख्या						
8.	वैधता	से		तक			
9.	प्रक्रियात्मक शुल्क	रकम					
10.	सुरक्षा जमा राशि	रकम					
11.	बैंक गारंटी	रकम		तारीख		वैधता	
12.	शर्तें						
	क	रजिस्ट्रीकरण गैर-हस्तांतरणीय है					
	ख	उपक्रम का परिसमापन किया जाना है		तारीख			
	ग	स्व-प्रमाणन अनुपालन प्रस्तुत करें			तारीख		
	घ	सम्यक सुविधा निरीक्षण			तारीख		
	ङ	सम्यक पहला ऑडिट परीक्षण			तारीख		

**टिप्पण :** रजिस्ट्रीकरण अहस्तांतरणीय है

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण

मुहर  
तारीख

## प्ररूप - 2

[नियम 10(2)देखें]

स्कैपिंग और यान जमा राशि के प्रमाणन के लिए साम्मिश्र आवेदन

<b>1 स्वामी के ब्यौरे</b>			
क	नाम		
ख	पता		
ग	मोबाइल सं.		
घ	ईमेल		
ड.	पेन		
च	बैंक खाता		
	i	बैंक का नाम	
	ii	शाखा	
	iii	खाता संख्या	
	iv	आईएफएससी	
	v	रद्द चेक	
	vi	प्राप्त किया गया प्रतिफल (रु.)	
	vii	चालान सं. और तारीख	
छ	फोटोग्राफ	संलग्न	
<b>2 यान के ब्यौरे</b>			
	रजिस्ट्रीकरण संख्या		
	मेक		
	मॉडल		
	चेसिस संख्या		
	इंजन नं		
	विनिर्माण का महीना/वर्ष		
<b>3 दस्तावेज</b>			
क	रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र।		
ख	फिटनेस प्रमाणपत्र की प्रति, जिसके यदि लागू होंगे के बाद यान को अनफिट घोषित कर दिया गया हो।		
ग	रजिस्ट्रीकृत स्वामी से प्राधिकार		
घ	उत्तराधिकार के मामले में, रजिस्ट्रीकृत स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तराधिकार प्रमाण के		

	साथ	
ड.	सार्वजनिक नीलामी में यान की बिक्री की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र या आदेश	
<b>4</b>	<b>आवेदक द्वारा प्रमाणीकरण</b>	
<p>मैं/हम, .....निवासी ..... घोषणा करते हैं कि इस प्ररूप में मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी विशिष्टियां सत्य और सही हैं; उक्त यान किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि/मुकदमेबाजी में लिप्त नहीं है और यह बोध है कि मैं /हम उपरोक्त झूठी घोषणा के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। मैं/हम घोषणा करते हैं कि उक्त यान पर कोई लंबित बकाया नहीं है; उक्त यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में भाड़ाक्रय, पट्टा या आडमान करार सम्यक् रूप से निर्वहन किया गया है और इस तारीख के पूर्व लंबित ऐसे किन्हीं बकायों और प्रभारों के लिए मैं/हम पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा मैं/हम ऐसे सभी प्रभारों से रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेप प्रसुविधा को पूर्णतः क्षतिपूर्ति करते हैं।</p>		
तारीख:		हस्ताक्षर:
स्थान:		
<b>5</b>	<b>जमा का प्रमाणपत्र</b>	
<p>1. हम प्रमाणित करते हैं कि यानों के निपटान के लिए इन नियमों के अनुसार उपचार हेतु यान रजिस्ट्रीकरण सं. .... मेक ..... मॉडल ..... यान प्रवर्ग ..... हमारे आवक सं. .... तारीख ..... द्वारा स्वीकार किया गया तथा भुगतान वाउचर सं. .... तारीख ..... द्वारा स्वामी को रुपये..... का सहमत प्रतिफल भुगतान किया गया है।</p> <p>2. और, प्रमाणित किया जाता है, कि उपचार के पूरा होने पर राष्ट्रीय रजिस्टर, वाहनडेटाबेस और सक्षम प्राधिकारी को अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए सूचित किया जाएगा।</p>		

तारीख:	हस्ताक्षर:
स्थान:	टिकट:
	आरवीएसएफ सं.
	वैधता

कंपनी लेटर हेड पर  
 आरवीएसएफ सं..... वैधता.....

## प्ररूप- 3

[नियम 10 (xxi), नियम 14(2) तथा नियम 14(3) निर्दिष्ट करें]

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न

1	नाम				
	रजिस्ट्रीकरण संख्या				
	वैधता				
2	क्षमता उपयोगिता (अदद)				
	क	अरजिस्ट्रीकरण	पूरी की गई (1)	प्रक्रिया (2) में	कुल (1 + 2)
	i	एल वीईएचएस			
	ii	एम वीईएचएस			
	iii	एन वीईएचएस			
	iv	अन्य			
	v	कुल (ए)			
	ख	उपचार	प्राधिकृत (1)	उपयोगकृत(2)	% उपयोगीकरण (1 / 2 * 100)
	i	एल वीईएचएस			
	ii	एम वीईएचएस			
	iii	एन वीईएचएस			
	iv	अन्य			
	v	कुल (बी)			
3	जन प्रवाह				केजीएस
	क	अंदर की ओर			
	i	एल वीईएचएस			
	ii	एम वीईएचएस			
	iii	एन वीईएचएस			
	iv	अन्य			
	v	कुलयोग ( i + ii + iii + iv = ए)			
	ख	बाहर की ओर			
	i	लौह			
	ii	अल्युमीनियम			
	iii	तांबा			

	iv	प्लास्टिक		
	v	कांच		
	Vi	टायर्स		
	Vii	बहुमूल्य धातुएँ (पैलेडियम, रोडियम, स्वर्ण, रजत, प्लेटिनम आदि)		
	Viii	अन्य		
	ix	उप-कुल (i)		
	ग	पुनःप्रक्रिया के लिए खतरनाक अपशिष्ट		
	I	ईंधन		
	ii	तेल		
	iii	गैसों		
	iv	बैटरियां		
	v	तरल पदार्थ		
	Vi	उप-कुल (ii)		
	घ	लैंडफिल्ड के लिए खतरनाक अपशिष्ट		
	I	रखे गए अवशेष		
	ii	लैंडफिल		
	iii	कुल (iii)		
	ड.	कुल योग ( i + ii + iii = बी)		
	च	व्यापक बकाया (ए-बी)		
<b>4</b>	<b>गुणवत्ता प्रमाणन प्रास्थिति</b>		<b>वैधता</b>	<b>टिप्पणियां</b>
	क	आईएसओ 9001		
	ख	आईएसओ 14001		
	ग	आईएसओ 45001		
<b>5</b>	<b>लेखा परीक्षा</b>			
	क	अभिकरण		
	ख	तारीख		
	ग	परिणाम	उत्तीर्ण करना	असफल
				पुनःप्रस्तुत
<b>6</b>	<b>सुरक्षा</b>		<b>अदद</b>	<b>टिप्पणियों</b>
	क	दुर्घटनाएं		
	ख	घटनाएं		

7. I.....पदनाम.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत किया गया डेटा वित्तीय वर्ष 20-20 के लिए कंपनी की गतिविधियों का सही और सटीक प्रतिबिंब है।

हस्ताक्षर

स्थान



## प्ररूप-4

[नियम 11 (1) देखें]  
यान स्कैपिंग का प्रमाण पत्र

1	प्रमाणपत्र संख्या :	
2	तारीख:	
3	यह प्रमाणित किया जाता है कि सीएमवीआर के उपाबंध-1 के अनुसार हमारे उपचाराधीन प्रमाण पत्र के जमा संख्या.....तारीख.....द्वारा रखे गए यान का अंतिम निपटान किया जाता है।	
4	यान के ब्यौरे	
	क	रजिस्ट्रीकरण संख्या
	ख	मेक
	ग	मोडल
	घ	निर्माण का महीना / वर्ष
		मास
		वर्ष
	ड.	चेसिस संख्या
		इसकी संख्या दर्शित करने वाले कटआउट पीस का चित्र
	च	इंजन संख्या
		इसकी संख्या दर्शित करने वाले इंजन का चित्र
5	स्वामी के ब्यौरे	
	क	नाम
	ख	आईडी प्रमाण ब्यौरे
	ग	पता
	घ	प्रस्तुत पता प्रमाण ब्यौरे
6	पूर्वगामी के अवलोकन में यह अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त यान के संबंध में अभिलेख अद्यतन किया जा सकता है।	

तारीख:

स्थान :

कंपनी का मोहर  
तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

[फा. सं. आरटी-23013/1/2018-टी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd September, 2021

**G.S.R. 653(E).**—Whereas, draft of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 190 (E), dated the 15th March, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public on the 16th March, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of section 59 and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from 25<sup>th</sup> September, 2021.

**2. Application.-** These rules shall apply to:-

(a) all categories of vehicles and their last registered owners, automobile collection centres, automotive dismantling, scrapping and recycling facilities and recyclers of all types of automotive waste products;

(b) the guidelines for Environmentally Sound Management of End-of-life vehicles (ELVs) and Automotive Industry Standard (AIS) 129.

**3. Definitions -** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) “Appellate Authority” means any officer above the rank of Registration Authority as nominated by the State or Union territory Government to whom appeal against the action of Registration Authority taken as pre sub-rule (5) of rule (9) can be referred under rule (15);

(c) “Certificate of Deposit” means the certificate issued by the Registered Vehicle Scrapping Facility to recognise the transfer of ownership of the vehicle from the registered owner to the Registered Scrapper for further treatment;

(d) “Certificate of Vehicle Scrapping” means the certificate issued by a Registered Vehicle Scrapping Facility to recognise the final disposal of a vehicle;

(e) “Collection Centre” means a facility or an area that may be used for the sole purpose of collecting and storing the End of Life Vehicles and sending it for further processing at the Scrapping Yard;

(f) “End-of-Life Vehicles” means all vehicles which are no longer validly registered or declared unfit through Automated Fitness Centres or their registrations have been cancelled under Chapter IV of the Act or due to an order of a Court of Law or are self-declared by the legitimate registered owner as a waste vehicle due to any circumstances as specified in these rules;

(g) “Final Disposal” means the treatment of the vehicle so that the vehicle is no longer capable of being used as such, the evidence for which is the cut out of the Chassis and the disposal of its engine;

(h) “Recycling” means the reclamation and processing of waste in an environmentally sound manner for the original purpose or other;

- (i) “Registered owner of an End of Life Vehicle” means, -
- (i) owner of the vehicle as defined in clause (30) of section 2 of the Act; or
  - (ii) person who has gained ownership of the vehicle in a public auction in accordance with rule 57 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989;
- (j) “Registered Scrapper” means a person, firm, society, trust or company owning and operating a Registered Vehicle Scrapping Facility;
- (k) “Registered Vehicle Scrapping Facility” means any establishment which holds a Registration for Vehicle Scrapping issued under these rules for carrying out dismantling and scrapping operations;
- (l) “Registration Authority” means the officer not below the rank of the Commissioner (Transport) as designated by the Government of the State or Union territory for this purpose;
- (m) “Scrapping” means the entire process from receipt and record of the ‘End-of-Life Vehicles’ including depolluting, dismantling, segregation of material, safe disposal of non-reusable parts, and issuance of Certificate of Vehicle Scrapping to the registered owner of a motor vehicle;
- (n) “Scrapping Yard” means the designated location within the premises of the Registered Vehicle Scrapping Facility where the End-of-life Vehicles are processed for further treatment including recycling;
- (o) “Treatment” means any activity after the end of life vehicle has been handed over to a collection centre of a Registered Vehicle Scrapping Facility for depollution, dismantling, shearing, shredding, recovery or preparation for disposal of the shredder wastes, and any other operation carried out for the recovery or disposal of the end of life vehicle and its components; and
- (p) “Vehicle” means a motor vehicle or vehicle as defined in clause (28) of section 2 of the Act.

(2) Words and expression used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

**4. Powers and duties of Registered Vehicle Scrapping Facility.-** (1) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall be provided connectivity and access to the VAHAN database of vehicle registration with password protected user ID and shall be authorised to make suitable entries regarding scrapping of the vehicle and issuance of Certificate of Deposit and Certificate of Scrapping, either directly or through their collection centre.

(2) The Registered Vehicle Scrapping Facility must have necessary cyber security certifications for the IT Systems for safe access to the VAHAN database.

(3) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall be provided the necessary connectivity to verify the records of the vehicles produced for scrapping with the database of the stolen vehicles, held by National Crime Records Bureau as well as with the local Police and it shall be duty of the Registered Vehicle Scrapping Facility to carry out such verification before scrapping a vehicle.

(4) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall undertake verification of the persons handing over the vehicle for scrapping to determine the bonafide of the vehicle owner or his authorised representative and retain a copy of the same for record for a minimum period of six months.

(5) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall be recognised as Facilitation Centre as per clause (cd) of rule 2 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 for Registered Vehicle Scrapping Facility purpose only.

**5. Conditions of eligibility for Registered Vehicle Scrapping Facility.-** The State Government or Union territory Government when granting authorisation to any Registered Vehicle Scrapping Facility under rule 6 shall take into account the following eligibility criteria, namely:-

(a) The Registered Vehicle Scrapping Facility may be owned and operated by any legal entity, be it a person, firm, society, Company or trust established in accordance with law having the following documents, -

- (i) Certificate of Incorporation or Shop Act Registration or Udyam Aadhar;
- (ii) Valid Goods and Services Tax registration; and

(iii) Valid Permanent Account Number

- (b) The entity shall have applied for or having an approval for consent to establish from the Registering authority of the State or Union territory Government in which the Registered Vehicle Scrapping Facility is intended to be located.
- (c) The entity shall undertake to meet the minimum technical requirement for collection and dismantling centres as per Central Pollution Control Board Guidelines.
- (d) The entity shall have competent manpower and appropriate equipment to carry out the depollution and dismantling activities in a safe and environmentally responsible manner.
- (e) The entity shall undertake to obtain the required quality certifications of ISO 9001(quality management system) or ISO 14001(environmental certification) or ISO 45001 (occupational health and safety) within twelve months of commencement of operations as a Registered Vehicle Scrapping Facility.
- (f) The entity shall possess or provide an undertaking to obtain a consent to operate from State Pollution Control Board within a period of six months from commencement of operations.
- (g) The entity shall undertake to abide by the provisions of all applicable Labour codes and all other Acts or Rules as applicable.
- (h) The entity shall provide evidence of availability of an adequate useable area of land in the orange category industrial zone of the State or Union territory by way of ownership or agreement to sell or agreement for lease of a minimum period of three years.
  - (i) The entity shall have necessary cyber security certifications specified under sub-rule (2) of rule 4.
  - (ii) The entity shall provide approved plant layout and the building plan.

**6. Registration procedure for Registered Vehicle Scrapping Facility.** - (1) An applicant may make an application in the prescribed Form-1, addressed to the Registration Authority of the concerned State Government or Union territory Government where the Registered Vehicle Scrapping Facility is intended to be located along with,-

- (i) a non-refundable processing fee of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) for each Registered Vehicle Scrapping Facility proposed to be established; and
  - (ii) an earnest money deposit by way of a bank guarantee of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) for each Registered Vehicle Scrapping Facility proposed to be established, in favour of the Registration Authority or as a non-interest-bearing security deposit for a period, co-terminus with the validity of the initial registration period, plus ninety days.
- (2) All applications for grant of registration shall be disposed of by the Registration Authority within a period of sixty days from the date of application.
  - (3) All accepted applications shall be issued a registration certificate in Form-1A.
  - (4) Applicants whose applications are rejected shall be refunded their earnest money or bank guarantee;
  - (5) The Central Government shall develop a portal for Single Window Clearance on which the applicant will apply with all necessary documents and required fee for registration.
  - (6) State Government or Union territory Government shall clear the proposal in time bound manner within sixty days including the internal approval from various State agencies (Labour, Pollution etc.) after submitting such application else the proposal would be deemed approved.
  - (7) Such portal shall be operationalised within six months from the date of notification of these rules and till such time as this portal is operationalised, processing of these cases shall be done manually by respective State Governments or Union territory Governments.

- (8) After the operationalisation of the portal referred to in sub-rule (5), all subsequent approvals etc. shall be granted through the portal and reports regarding the inspection and audit of Registered Vehicle Scrapping Facility should be made available on the portal.
- (9) The necessary approvals by the State Pollution Control Board, Labour Department and any other department deemed necessary for the establishing or operation of such Registered Vehicle Scrapping Facility shall be provided through that portal only.
- (10) The State Government or Union territory Government shall publish a Citizen's Charter on the portal and the procedure for grant of approvals on such portal.
- (11) The process shall be transparent and seamless and all the notifications, guidelines, forms, etc. shall be made available on the portal established in sub-rule (5), and the applications shall be made electronically and disposed-off in time-bound manner.
- 7. Validity and renewal of registration.-** (1) The registration issued under rule 6 shall be valid for an initial period of ten years, which shall be renewable for another ten years at a time, subject to the condition that the Registered Scrapper has not been in default of the provisions as specified in rule 14.
- (2) An application for renewal of registration may be made three months before expiry of such registration.
- (3) Application for renewal shall be in Form-1 and shall carry such renewal fee and security deposit as may be specified by the State or Union territory Government for this purpose.
- (4) The renewal of registration shall be issued as per Form-1A.
- (5) The registration issued under this rule shall not be transferable.
- 8. Criteria for scrapping of vehicles.-** The following vehicles may be offered for scrapping to the Registered Scrapper,-
- (i) Vehicles which have not renewed their Certificate of Registration in accordance with rule 52 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
- (ii) Vehicles which have not been granted a certificate of fitness in accordance with rule 62 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
- (iii) Vehicles which have been damaged due to fire, riot, natural disaster, accident or any calamity, following which the registered owner self certifies the same as scrap.
- (iv) Vehicles which have been declared obsolete or surplus or beyond economic repair by the Central or State Organisations of the Government and have been offered for scrapping.
- (v) Vehicles bought by any agency including Registered Vehicle Scrapping Facility in an auction for scrapping the vehicles.
- (vi) Vehicles which have outlived their utility or application particularly for projects in mining, highways, power, farms etc. as may be self-certified by the owner.
- (vii) Manufacturing rejects, test vehicles, prototype, vehicles damaged during transportation from vehicle Original equipment manufacturer to dealers or Unsold or unregistered vehicles as may be certified by the vehicle original equipment manufacturer.
- (viii) Auctioned, impounded or abandoned vehicles by any enforcement agency.
- (ix) Any other vehicle voluntarily offered to a Registered Vehicle Scrapping Facility for scrapping, by the owner.
- 9. Right to inspection.-** (1) The Registered Scrapper shall maintain in the Registered Vehicle Scrapping Facility, the records regarding the transaction of vehicles and scrap generation and its responsible disposal to authorised recyclers, and all the machinery, equipment and apparatus in the Registered Vehicle Scrapping Facility premises, ready for inspection by the Registration Authority or Designated Officer of the State Government or Union territory Government.
- (2) Physical inspection and site visits may be carried out after execution of process as listed below,-

- (i) when a report of non-compliance by the appropriate authority or a public complaint has been received by the Registration Authority in respect of the Registered Scrapper;
  - (ii) such complaint has been forwarded to the Registered Scrapper to file a written response within seven working days;
  - (iii) the response has been scrutinised and an opportunity has been provided to the Registered Scrapper to provide further clarifications within three working days.
  - (iv) the response and clarifications provided are inadequate in the opinion of the Registration Authority, and a site visit is warranted.
- (3) Such site visit shall be duly authorized by the Registration Authority.
- (4) The report of the inspection team shall be submitted to the Registration Authority and a copy of the same shall be provided to the Registered Scrapper.
- (5) In case of non-compliance of these rules the Registration Authority may after providing an opportunity to the Registered Scrapper of being heard, pass a speaking order to cancel or suspend the registration for the facility.

**10. Scraping Procedure.-** (1) The scrapping of vehicles shall be carried out by a Registered Scrapper in respect of all End-of-Life Vehicles, by the following procedure, namely:-

- (i) the registered owner or the authorised representative shall hand over the vehicle together with an application as per Form-2 in two originals to the Registered Scrapper or the designated Collection Centre for deposit and further treatment of the vehicle.
- (ii) if the vehicle does not have a valid registration, then the Registered Scrapper or its designated centre shall match the identity of the registered owner as per the VAHAN database with the person handing over the vehicle and receive the vehicle and issue a receipt through digital platform linked to VAHAN database.
- (iii) vehicles impounded by an enforcement agency shall be handed over to the Registered Scrapper.
- (iv) the Registered Vehicle Scrapping Facility shall verify the records of the vehicles produced for scrapping with the database of the stolen vehicles held by National Crime Records Bureau as well as with the local Police before scrapping a vehicle.
- (v) the Registered Scrapper shall require, along with the Form-2, the following applicable original documents from the owner or the authorised representative, -
  - (a) original Certificate of Registration;
  - (b) authorisation from the registered owner;
  - (c) in case of inheritance, the death certificate of the registered owner accompanied with any proof of succession;
  - (d) certificate or order confirming the sale of the vehicle in a public auction in his favour duly signed by the person authorised to conduct the auction; and
  - (e) an undertaking, as per para 4 of Form-2 from the owner or representative, indicating that vehicle has no pending criminal record or litigation and there are no pending dues on the vehicle.
- (vi) the Registered Scrapper shall verify that the hire-purchase, lease or hypothecation agreement in the certificate of registration of a motor vehicle required under sub-section (2) of section 51 of the Act has been duly discharged and an undertaking to this effect shall also be given by the owner or representative in para 4 of Form-2.
- (vii) The Registered Scrapper shall accept self-certified copies from the owner or through authorised representative of the following documents,-
  - (a) copy of the Permanent Account Number card of the owner;

- (b) cancelled cheque of the bank account of the owner;
  - (c) identity Proof of the authorised representative (if applicable) such as passport, voter card, Aadhar card, driving license or photo identity card issued by the State Government or the Central Government;
  - (d) address proof of the owner such as electricity bill, water bill, land line telephone bill or piped cooking gas bill etc; and
  - (e) digital photograph of the owner or authorised representative physically handing over the End-of-Life Vehicle to the Registered Scrapper, or a photograph of the owner or representative duly pasted in Form-2 and countersigned by the owner or representative.
- (viii) The Registered Scrapper shall return the second Form-2, duly receipted, to the owner or his authorised representative and deface or punch the Registration Certificate in the presence of the owner or his authorised representative and issue the Certificate of Deposit as evidence of transfer of ownership of the vehicle.
- (ix) The Registered Vehicle Scrapping Facility established in a State may accept and scrap the vehicles registered in any of the State or Union Territory under the jurisdiction of any Registration Authority.
- (x) The whole process shall be smoothly linked with VAHAN and on pan India basis irrespective of the location of any vehicle registering authority.
- (xi) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall facilitate the process of submission of request electronically and transmission of registration certificate (defaced or punched) to road transport or regional transport office in getting vehicle deregistered as per provisions of the Act.
- (xii) The 'Certificate of Deposit' shall be a necessary and sufficient document for the owner to avail incentives and benefits for purchase of a new vehicle as may be declared from time to time.
- (xiii) The Certificate of Deposit shall be tradeable and once utilised shall be collected by the agency or dealer providing the benefits to the holder of the said certificate.
- (xiv) The Certificate of Deposit shall be stamped as "Cancelled" by the agency or dealer and marked as such in the VAHAN database.
- (xv) The regional transport office registering the new vehicle purchased against the Certificate of Deposit may verify and authenticate the Certificate of Deposit.
- (xvi) The Registered Scrapper shall digitally remit or pay by an account payee cheque, the agreed consideration for the vehicle and obtain a receipt for the same from the owner or his authorised representative for record.
- (xvii) The Registered Scrapper shall have the cut piece of the chassis number in safe custody for a period of six months from the date of issue of Certificate of Vehicle Scrapping issued under rule 11.
- (xviii) The Registered Scrapper shall maintain a physical copy of all documents for a period of two years and a digital scanned copy of those documents for a period of ten years for record and examination during inspection;
- (xix) The Registered Scrapper shall ensure that removal or re-cycling or disposal of hazardous parts of the scrapped vehicle is done as per CPCB guidelines for Environmentally Sound Management of End-of-Live Vehicles and AIS-129.
- (xx) Vehicles shall not be scrapped until the fuel, oil, antifreeze, and other gases, fluids etc. are drained and collected in certified standard containers.
- (xxi) A digital register of vehicles scrapped shall be maintained in Form-3.

**11. Issuance of Certificate of Vehicle Scrapping.-** (1) The Registered Scrapper, after completing the necessary treatment, shall issue a digital Certificate of Vehicle Scrapping including a digital photograph of the cut out of the chassis, in Form-4 to update the national register, VAHAN Database and inform the competent authority of the State Government or Union territory Government for updating of records.

(2) A separate record of the scrapped vehicles shall be maintained on the VAHAN database by the Central Government.

**12. Installation of CCTV Cameras.** - (1) The Registered Scrapper shall install CCTV cameras at the scrapping yard, in the customer and vehicle reception area and the record of scrapping shall be saved in the Registered Scrapper's IT system for a period of three calendar months.

(2) The access to the CCTV footage installed in the facility may be provided to the authorised agencies as may be required by the State Government or Union territory Government.

**13. Scrapping Yard and Collection Centre.**- (1) The Scrapping Yard shall be set up in an adequate area having space for vehicular movement, storing the vehicles or items received and recyclable material recovered, commensurate to the size and voluminous nature of the scraps to be handled by the facility.

(2) The Scrapping Yard shall be a gated area to handle, depollute and dismantle End-of-Life Vehicles, white goods and other scraps along with facility for measuring radiation as is followed for import of scrap.

(3) Material handling machines shall be utilised to minimise human intervention and create safe work places.

(4) All Scrapping Yards shall engage competent and trained manpower to process the End-of-Life vehicles, goods and other scraps.

(5) The Scrapping Yard shall have dry areas (free from water logging), impermeable surfaces like asphalt or concrete flooring, asphalt or concrete roads, adequate workshop facilities for in-house maintenance, fire protection systems etc. to maintain safe work places and all other required measures for keeping pollution under control.

(6) Scrapping Yard shall be equipped with a depollution system, preferably with zero discharge system and dismantling work shall be done using technology for processing the End-of-Life vehicles, goods and other scraps.

(7) The Scrapping Yard shall comply with relevant health and safety legislation or regulation and environmental norms.

(8) The Scrapping yard shall have,-

(a) Suitable earmarked area for parking of waste vehicles on non-permeable asphalt or concrete or epoxy coated flooring with adequate drainage facility and no waste or potentially waste vehicle shall be parked on roads or public spaces even during processing of applications for deposit and shall be accommodated within the premises of the Registered Vehicle Scrapping Facility only.

(b) Certified de-polluting equipment to ensure zero leakage of pollutants during draining of fuels or fluids or gases and liquids, certified de-risking equipment for safe neutralization or removal of airbags, pre-tensioner etc., appropriate dismantling equipment for the activities defined (such as de-risking, de-polluting, dismantling, shredding, shearing, bailing etc.), designated areas for storing the segregated scrap, adequate space for storage and handling of segregated spares, designated space for temporary storage of automotive hazardous waste such as tyres, batteries, fuel, oils, liquids and gases, suitable safety and occupational health equipment, material handling equipment for the safe transportation of spares, scrap etc.

(c) Appropriate Industrial grade lighting and ventilation systems, conformity to noise pollution norms and appropriate effluent treatment plants or water recycling plants.

(9) Scrapping Yards shall accredit themselves with the latest version of quality standards viz. ISO 9001 (Quality management system), ISO14001 (Environmental Management System) and ISO 45001 (Occupational health and safety) within twelve months of commencement of operations.

(10) In case Scrapping Yards do not have adequate capability or provisions for responsible recycling of hazardous waste (like e-waste, lead acid batteries, lithium-ion components, or for recovery of rare earth metals, etc.), or for recycling of scrap material which is outside its scope, then such materials shall be sold to duly authorised recyclers or agencies, who have adequate capability and licence.

- (11) Records of the transactions shall be maintained, clearly stating the volumes off-loaded and the name, authorisation number, Permanent Account Number, Goods and Services Tax and other commercial details of the authorized recycler/agency. Such records shall be subjected to periodical audit.
- (12) Collection Centre may be established by a Registered Vehicle Scrapping Facility at any other place, other than the Scrapping Yard if collection center undertakes activities such as depollution and dismantling and the requirements applicable for Scrapping Yard shall also be applicable to such Collection Center.
- 14. Audits and Certifications.** – (1) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall be audited by the Registration Authority for compliance with these rules;
- (2) On behalf of the Registration Authority, any of the agencies specified under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 or in such list, may undertake,-
- (a) regulatory and compliance audit; and
- (b) audit of the mass flow statement as maintained in Form-3 by the Registered Vehicle Scrapping Facility.
- (3) The audit report shall also grade and evaluate the Registered Vehicle Scrapping Facility in terms of its performance and adherence to occupational health and safety compliances, regulatory, business, environment and labour standards and the respective recycling rates basis, the mass flow information recorded in Form-3 achieved by the Registered Scrapper.
- (4) Such audit report shall be uploaded on the portal by the Registered Scrapper annually for a financial year or part thereof and shall be submitted by the 31<sup>st</sup> May (within two months of completion of financial year) of that financial year.
- (5) Observations of non-compliance as reported in the audit report shall be resolved by the Registered Scrapper within two months of issue of the audit report which may be extended by a maximum of one-month by the Registration Authority.
- (6) The Registered Scrapper shall ensure that ISO certifications are revalidated at least three months before their expiry.
- 15. Appeal.**- (1) Any person aggrieved by an order passed under sub-rule (5) of rule 9, of the Registration Authority may within thirty days of the date of receipt of such order, appeal to the Appellate Authority.
- (2) The appeal shall be preferred in a plain application format, setting forth the grounds of objections to the order passed by the Registration Authority and shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against and fee of Rs 10,000/- (Rupees Ten Thousand only).
- (3) The Appellate Authority shall dispose the appeal within thirty working days from the date of appeal.

**FORM- 1**  
[Refer rule 6(1)]  
**APPLICATION FOR REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY (RVSF)**

Application for	Please tick as applicable
Registration for a new RVSF	
Renewal of Registration for existing RVSF	
Modification in existing registration	

**1. FOR OFFICE USE**

APPLICATION NO	
APPLICATION DATE	
DATE	
FEE	
SECURITY DEPOSIT	

**2. GENERAL INFORMATION**

i	Name								
ii	Address								
iii	Tel								
iv	FAX								
v	Email								
vi	CIN								
vii	PAN								
viii	GST								
ix	Status	Company	Firm	Trust	Society	Proprietor	Govt	JV	PPP
x	Attach	MoA					AoA		
xi	Existing Activities of the Company (National Industrial Classification Code)								

**3. PLANT DETAILS**

a	Location (Provide Map)			
b	Area (sq m)			
c	Possession Details	Owned	Lease/Period	Years
d	State			
e	District			
f	Category of industrial zone			

<b>4. Proposed Activities of the Company</b>	L Vehicles	Yes	No	Capacity		Nos
	M Vehicles	Yes	No	Capacity		Nos
	N Vehicles	Yes	No	Capacity		Nos
	Other	Yes	No	Capacity		Nos
<b>5. Proposed Capital Structure (INR Lakh)</b>	Authorised					
	Subscribed					
	Paid-Up					
<b>6. Proposed No of Employees</b>						

**7. Availability of Space**

a	Plant Design and Layout, showing following spaces	
---	---	--

	and areas (sqm):-	
b	Earmarked area for the safe and environmentally compliant parking of waste vehicles (sqm)	
c	Designated areas for storing the segregated scrap (sqm)	
d	Space for processed scrap and usable parts (sqm)	
e	Designated space for temporary storage of automotive hazardous waste (sqm)	
f	Provision of space for parking of safe transportation of spares, scrap and waste products (sqm)	

### 8. Availability of Equipment

a	Certified de-polluting equipment	Yes	No
b	Certified de-risking equipment	Yes	No
c	Safety and occupational health equipment	Yes	No
10	Security certifications for the IT Systems for safe access to VAHAN database	Yes	No

### 11. Environmental Clearance

a	Consent to Establish	
b	Consent to Operate	

12.	Application No for VAHAN Database	
-----	-----------------------------------	--

### 13. Undertaking

	<b>The Applicant hereby undertakes to</b>		
a	Comply with CPCB Guidelines for the Safe Disposal of scrapped vehicles	Yes	No
b	Obtain the Quality Certifications within 12 Months of Issue of Registration		
	i	ISO 9001	Yes
	ii	ISO 14001	Yes
	iii	ISO 45001	Yes
c	Comply with the Hazardous Waste Management Rules (2016)	Yes	No

### Authorised Signatory

Date

Company Seal



**FORM-1A**  
**[Refer rules 6(3) and 7(4)]**  
**APPROVAL FOR SETTING UP OF**  
**REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY (RVSF)**

The Registration Authority has approved the issue of Registration for setting up of Registered Vehicle Scrapping Facility as per details below:

1.	APPLICANT						
2.	LOCATION						
3.	APPLICATION NO						
4.	APPLICATION DATE						
5.	APPROVAL	YES		NO		RESUBMIT	
6.	CATEGORY	L Vehicles	Yes	No	Annual Capacity		Nos
		M Vehicles	Yes	No	Annual Capacity		Nos
		N Vehicles	Yes	No	Annual Capacity		Nos
		Others	Yes	No	Annual Capacity		Nos
7.	REGISTRATION NUMBER						
8.	VALIDITY	FROM		TO			
9.	PROCESSING FEE	AMOUNT					
10.	SECURITY DEPOSIT	AMOUNT					
11.	BANK GUARANTEE	AMOUNT		Date		Validity	
12.	CONDITIONS						
	a	Registration is Non-Transferable					
	b	Undertaking are to be liquidated by			Date		
	c	Submit Compliance Self-Certification by			Date		
	d	Facility Inspection Due			Date		
	e	First Test Audit Due			Date		

**Note:** The Registration is Non-Transferable

Registration Authority

Stamp  
Date

**FORM – 2**  
[Refer rule 10(1)]

**COMPOSITE APPLICATION FOR SCRAPPING AND CERTIFICATE OF VEHICLE DEPOSIT**

<b>1. OWNER DETAILS</b>			
A	NAME		
B	ADDRESS		
C	MOBILE NO		
D	E MAIL		
E	PAN		
F	BANK ACCOUNT		
	i	NAME OF BANK	
	ii	BRANCH	
	iii	ACCOUNT NUMBER	
	iv	IFSC	
	v	CANCELLED CHEQUE	
	vi	CONSIDERATION RECEIVED (Rs)	
	vii	INVOICE NO AND DATE	
G	PHOTOGRAPH	ATTACHED	
<b>2. VEHICLE DETAILS</b>			
	REGISTRATION NO		
	MAKE		
	MODEL		
	VEHICLE CATEGORY		
	CHASSIS NO		
	ENGINE NO		
	MONTH/YEAR OF MANUFACTURE		
<b>3. DOCUMENT</b>			
A	Original Certificate of Registration.		
B	Copy of Fitness Certificate following which the vehicle has been declared unfit for use, if applicable.		
C	Authorization from the registered owner		
D	In case of Inheritance, the death certificate of the registered owner accompanied with any proof of succession		
E	Certificate or order confirming the sale of the vehicle in a public auction		
<b>4. CERTIFICATION BY APPLICANT</b>			
<p>I/We ..... Resident of ..... hereby declare that all the particulars furnished by me / us in this form are true and correct; the subject vehicle is not engaged in any kind of criminal activity/litigation and realize that I/WE are fully liable for any false declaration furnished above.</p> <p>I/We hereby declare that there are no pending dues on the said vehicle; the hire-purchase, lease or hypothecation agreement in the certificate of registration of the said vehicle has been duly discharged and that I/WE shall be fully liable for any such dues and charge pending before this date and I/We fully indemnify the Registered Vehicle Scrapping Facility from all such charges.</p>			
<b>DATE:</b>		<b>SIGNATURE:</b>	
<b>PLACE:</b>			
<b>5. CERTIFICATE OF DEPOSIT</b>			
1. We certify that Vehicle Registration No.....Make.....Model.....Vehicle			

<p>Category.....has been accepted at our Facility vide our Inward No. ....  dated.....for Treatment in accordance with these rules for the Disposal of Vehicles and the agreed  consideration of Rs.....has been paid to the owner vide our Payment Voucher  No.....Dated.....</p> <p>2. We further certify, that on completion of Treatment the National Register, VAHAN Database and the  competent authority would be intimated for updating of records.</p>	
DATE:	SIGNATURE:
PLACE:	STAMP:
	RVSF No.
	VALIDITY

RVSF No.

On Company Letter Head

VALIDITY

**FORM-3**  
*[Refer rules 10(xxi), 14(2) and 14 (3)]*  
**ANNUAL RETURN FOR FINANCIAL YEAR 2021-202\_**

1.	<b>NAME</b>				
	<b>REGISTRATION NUMBER</b>				
	<b>VALIDITY</b>				
2.	<b>CAPACITY UTILISATION (NOS)</b>				
	<b>A</b>	<b>DEREGISTRATION</b>	COMPLETED (1)	IN PROCESS (2)	TOTAL (1+2)
	i	L VEHS			
	ii	M VEHS			
	iii	N VEHS			
	iv	OTHERS			
	v	TOTAL(A)			
	<b>B</b>	<b>TREATMENT</b>	AUTHORISED (1)	UTILISED (2)	% UTILISATION ((1)/(2)*100)
	i	L VEHS			
	ii	M VEHS			
	iii	N VEHS			
	iv	OTHERS			
	v	TOTAL(B)			
3.	<b>MASS FLOW</b>				KGS
	<b>A</b>	<b>INWARDS</b>			
	i	L VEHS			
	ii	M VEHS			
	iii	N VEHS			
	iv	OTHERS			
	v	GRAND TOTAL (i+ii+iii+iv =A)			
	<b>B</b>	<b>OUTWARDS</b>			
	i	FERROUS			
	ii	ALUMINIUM			
	iii	COPPER			
	iv	PLASTICS			
	v	GLASS			
	vi	TYRES			
	vii	PRECIOUS METALS (Palladium, Rhodium, Gold, Silver, Platinum, etc.)			
	viii	OTHERS			
	ix	SUB-TOTAL (i)			
	<b>C</b>	<b>HAZARDOUS WASTE FOR REPROCESSING</b>			
	i	FUEL			
	ii	OILS			
	iii	GASES			
	iv	BATTERIES			
	v	FLUIDS			
	vi	SUB-TOTAL (ii)			
	<b>D</b>	<b>HAZARDOUS WASTE TO LANDFILL</b>			
	i	RESIDUES RETAINED			
	ii	LANDFILL			
	iii	SUB-TOTAL (iii)			
	<b>E</b>	<b>GRAND TOTAL (i+ii+iii =B)</b>			
	<b>F</b>	<b>MASS BALANCE(A-B)</b>			

4. QUALITY CERTIFICATIONS STATUS		VALIDITY	REMARKS
A	ISO 9001		
B	ISO 14001		
C	ISO 45001		
5. AUDIT			
A	AGENCY		
B	DATE		
C	RESULT	PASS	FAIL
			RESUBMIT
6. SAFETY		Nos	REMARKS
A	ACCIDENTS		
B	INCIDENTS		

7.

I..... DESIGNATION.....  
 hereby certify that the data submitted above is a true and accurate reflection of the activities of the company for the financial year 2021-202\_.

Signature

Place







# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238867  
CG-DL-E-16092022-238867

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2022/भाद्र 23, 1944

No. 615]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2022/BHADRA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 695(अ).—मोटर यान (यान स्केपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य संशोधन) नियम, 2022 का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 192(अ), तारीख 10 मार्च, 2022 में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को 11 मार्च, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 59 की उपधारा (4) और धारा 64 के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान (यान स्केपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (1) में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: --
- “(ग) “निक्षेप प्रमाणपत्र” से रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा द्वारा और निरूपण के लिए उक्त रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वामी से यान के जमा की मान्यता के लिए, जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;”।
3. उक्त नियमों के नियम 4 में,--
- (क) उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ;
- (ख) उपनियम (3) में, “के साथ-साथ स्थानीय पुलिस” शब्दों का लोप किया जाएगा ।
4. उक्त नियमों के नियम 5 के खंड (ज) में,--
- (क) “औद्योगिक क्षेत्र” शब्दों का लोप किया जाएगा ;
- (ख) उपखंड (i) का लोप किया जाएगा ।
5. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) के खंड (ii) में, “जमा नब्बे दिन” शब्दों का लोप किया जाएगा ।
6. उक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम (5) में, “इस नियम” शब्दों के पश्चात्, “और नियम 6” शब्द और अंक अंतः स्थापित किए जाएंगे ।
7. उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम (1) में,--
- (क) आरंभिक पैरा में, “रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर” शब्दों के स्थान पर, “रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) खंड (ii) से खंड (xxi) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--
- “(i) रजिस्ट्रीकृत स्वामी, रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा या जमा करने के लिए अभिहित संग्रह केंद्र पर यान को जमा करने और आगे निरूपण के लिए, प्ररूप-2 के अनुसार वाहन पर डिजिटल रूप से आवेदन करेगा ।
- (ii) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा और अभिहित संग्रह केंद्र, प्ररूप-2 में डिजिटल आवेदन करने में नागरिकों की सहायता के लिए सुविधा केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे ।
- (iii) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा द्वारा सत्यापन के लिए, रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा प्ररूप-2 के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, अर्थात् :--
- (क) स्वामी की पहचान और उसके पते का सबूत, जैसे पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, परिचालन अनुज्ञप्ति या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य सुसंगत पहचान कार्ड ;
- (ख) यदि यान स्वामी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, प्ररूप- 2 के पैरा 5 के अनुसार लागू प्राधिकृत प्रतिनिधि के लिए स्टॉप पेपर पर प्राधिकार पत्र ;
- (ग) प्राधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो) की पहचान और उसके पते का सबूत, जैसे पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, परिचालन अनुज्ञप्ति या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य सुसंगत पहचान कार्ड ।
- (iv) स्वामी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा को रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाणपत्र के साथ यान प्रस्तुत करेगा और प्ररूप-2क के अनुसार डिजिटल वचनबंध पर हस्ताक्षर करेगा ।
- (v) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा भी प्ररूप-2ख के अनुसार डिजिटल वचनबंध पर हस्ताक्षर करेगा ।
- (vi) किसी प्रवर्तन अभिकरण द्वारा परिबद्ध यान, रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा को सौंपे जाएंगे, यदि वे यान स्क्रेपिंग के लिए नियम 8 में उपबंधित मानदंड को पूरा करते हैं ।
- (vii) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा, स्क्रेपिंग के लिए प्रस्तुत यानों के अभिलेख का वाहन पोर्टल के माध्यम से सत्यापन करेगा, जिसमें राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा धारित चोरी हुए वाहनों के डाटाबेस से सत्यापन सम्मिलित है ।
- (viii) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा, यान के लिए तय प्रतिफल का, पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा या डिजिटल रूप से संचाय करेगा और उसके लिए स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से अभिलेख हेतु रसीद प्राप्त करेगा ।

- (ix) किसी राज्य में स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को विरूपित या छिद्रित करेगा और स्कैपिंग के लिए वाहन की स्वीकृति के साक्ष्य में रूप में, प्ररूप-2ग के अनुसार, वाहन में जमा का डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- (x) किसी राज्य में स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकृत यानों को स्वीकार और स्कैप कर सकेगा।
- (xi) पूरी प्रक्रिया, किसी भी यान रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की अवस्थिति पर ध्यान दिए बिना, अखिल भारतीय आधार पर वाहन के साथ सुचारू रूप से जुड़ी होगी।
- (xii) निक्षेप प्रमाणपत्र, स्वामी के लिए एक नया यान खरीदने के लिए, समय-समय पर घोषित प्रोत्साहन और फायदा प्राप्त करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा उक्त प्रमाणपत्र की वैधता जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष होगी।
- (xiii) निक्षेप प्रमाणपत्र, इलेक्ट्रॉनिक रूप से विनिमय योग्य होगा।
- (xiv) निक्षेप का अंतरण प्रमाणपत्र, प्रत्येक नए स्वामी के लिए प्ररूप-2घ के अनुसार व्यावसायिक मंच पर सृजित किया जाएगा और निक्षेप के प्रमाण पर, उसका एक बार उपयोग कर लिए जाने के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या उक्त प्रमाणपत्र के धारक को लाभ प्रदान करने वाले व्यवहारी द्वारा वाहन डाटाबेस में “निरस्त” का चिन्ह लगा दिया जाएगा।
- (xv) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या निक्षेप प्रमाणपत्र के विरुद्ध क्रय किए गए नए यान को रजिस्ट्रीकृत करने वाला व्यवहारी निक्षेप प्रमाणपत्र को डिजिटल रूप से सत्यापित और अधिप्रमाणित करेगा।
- (xvi) रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, जिस राज्य में यान का रजिस्ट्रीकरण हुआ है, यान के रजिस्ट्रीकरण को निरस्त कराने के लिए सड़क यातायात या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को यान स्कैपिंग के प्रमाणपत्र के साथ रजिस्ट्रीकरण (विरूपित या छिद्रित) के मूल प्रमाणपत्र के भौतिक पारेषण की प्रक्रिया आसान बनाएगा।
- (xvii) रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, नियम 11 के अधीन जारी यान स्कैपिंग के प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए चेसिस के नंबर के कटे हुए टुकड़ों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।
- (xviii) रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, निरीक्षण के दौरान रिकार्ड और जांच के लिए दस साल की अवधि के लिए सभी दस्तावेजों की डिजिटल स्कैन प्रति को सुरक्षित रखेगा।
- (xix) रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा यह सुनिश्चित करेगा कि स्कैप किए गए यान के परिसंकटमय भागों को हटाने या पुनर्चक्रण या निपटान, चलने वाले यानों की समाप्ति का पर्यावरण अनुकूलन प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।
- (xx) यानों को तब तक स्कैप नहीं किया जाएगा, जब तक ईंधन, तेल, जमावरोधी या अन्य गैसों, तरल पदार्थों को प्रमाणित मानक कंटेनरों में सुखाया या एकत्रित नहीं कर लिया जाता है।
- (xxi) स्कैप यानों का डिजिटल रजिस्टर प्ररूप-3 में सुरक्षित रखा जाएगा।”।

8. उक्त नियमों के नियम 11 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्: --

“(1) आवश्यक निरूपण के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, प्ररूप-4 के अनुसार चेसिस को काटने के डिजिटल फोटो सहित यान के स्कैपिंग का डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिससे वाहन डाटाबेस को अद्यतन किया जा सके और यान के रिकार्ड को अद्यतन करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।”।

9. उक्त नियमों के नियम 13 में,--

(क) उपनियम (8) के खंड (ख) में, “छोटे-छोटे टुकड़े करना, कर्तन, बेलिंग” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (12) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(12) रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, स्कैपिंग यार्ड के अतिरिक्त, अन्य स्थान पर कोई संग्रहण केंद्र स्थापित कर सकेगा और यदि संग्रहण केंद्र प्रदूषण निवारण और निराकरण जैसी क्रियाकलापों का वचन देता है, जब रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा के लिए लागू अपेक्षाएं ऐसे संग्रहण केंद्र को भी लागू होंगी।”।

10. उक्त नियमों के नियम 14 के उपनियम (4) में, "तक प्रस्तुत की जाएगी" शब्दों के पश्चात् "और उक्त संपरीक्षा और निर्धारण की लागत ऐसी सुविधा के प्रचालक द्वारा वहन की जाएगी" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त नियमों के प्ररूप-1 और प्ररूप-2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :--

**"प्ररूप-1**

(नियम 6(1) देखें)

**रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के लिए आवेदन**

**1. कार्यालय उपयोग के लिए**

निम्न के लिए आवेदन	जो लागू हो, उस पर टिक करें
एक नए आरवीएसएफ के लिए रजिस्ट्रीकरण	
मौजूदा आरवीएसएफ के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण	
मौजूदा पंजीकरण में संशोधन	

आवेदन संख्या	
आवेदन तारीख	
तारीख	
शुल्क	
सुरक्षा जमा	

**2. साधारण जानकारी**

(i)	नाम	
(ii)	संक्षिप्त नाम (अधिकतम 35 वर्ण)	
(iii)	पता	
(iv)	टेलीफोन	
(v)	फैक्स	
(vi)	ईमेल	
(vii)	सीआईएन	
(viii)	पैन	
(ix)	जीएसटी	
(x)	प्रास्थिति	कंपनी फर्म ट्रस्ट सोसाइटी स्वत्व-धारी सरकारी जेवी पीपीपी
(xi)	संलग्नक	एमओए एओए
(xii)	कंपनी के विद्यमान क्रियाकलाप (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड)	

**3. संयंत्र का विवरण**

(क)	स्थान (मानचित्र प्रदान करें)			
(ख)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			
(ग)	अधिकृत क्षेत्र का विवरण	स्वामित्वाधीन	पट्टा/अवधि	वर्ष
(घ)	राज्य			
(ङ)	जिला			

4. कंपनी के प्रस्तावित कार्यकलाप	एल यान	हां	नहीं	क्षमता		अदद
	एम यान	हां	नहीं	क्षमता		अदद
	एन यान	हां	नहीं	क्षमता		अदद
	अन्य	हां	नहीं	क्षमता		अदद
5. प्रस्तावित पूंजी संरचन (लाख रुपया)	प्राधिकृत					
	अभिदत्त					
	संदत्त					
6. कर्मचारियों की प्रस्तावित संख्या						

## 7. स्थान की उपलब्धता

(क)	निम्नलिखित स्थान और क्षेत्र (वर्गमीटर) को प्रदर्शित करते हुए संयंत्र का डिजाइन और लेआउट:-	
(ख)	अपशिष्ट यानों की सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पार्किंग के लिए प्रयोजन विशिष्ट क्षेत्र (वर्गमीटर)	
(ग)	अलग किए गए स्क्रेप के भंडारण के लिए निर्धारित क्षेत्र (वर्गमीटर)	
(घ)	संसाधित स्क्रेप और प्रयोग करने योग्य भागों के लिए स्थान (वर्गमीटर)	
(ङ)	ऑटोमोटिव खतरनाक कचरे के अस्थायी भंडारण के लिए निर्धारित स्थान (वर्गमीटर)	
(च)	पुर्जों, स्क्रेप और अपशिष्ट उत्पादों के सुरक्षित परिवहन की पार्किंग के लिए स्थान (वर्गमीटर)का उपबंध	

## 8. उपकरणों की उपलब्धता

(क)	प्रमाणित गैर प्रदूषणकारी उपकरण	हां	नहीं
(ख)	प्रमाणित खतरा विहीन उपकरण	हां	नहीं
(ग)	सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपकरण	हां	नहीं

## 9. पर्यावरणीय मंजूरी

(क)	स्थापित करने के लिए सहमति	
(ख)	संचालित करने के लिए सहमति	

## 10. वचनबंधता

आवेदक वचन देता है कि				
(क)	स्क्रेप किए गए वाहनों के सुरक्षित निपटान के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा	हां	नहीं	
(ख)	पंजीकरण जारी होने के 12 महीनों के भीतर गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा			
	i)	आईएसओ 9001	हां	नहीं
	ii)	आईएसओ 14001	हां	नहीं
	iii)	आईएसओ 45001	हां	नहीं
(ग)	खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016) का अनुपालन	हां	नहीं	

डिजिटल हस्ताक्षर/ऑफलाइन प्ररूप की दशा में कंपनी की मुहर

तारीख :

## प्ररूप - 2

(नियम 10(1) देखें)

वाहन स्क्रेपिंग के लिए आवेदन

1.	स्वामी के ब्यौरे		
	(क)	नाम	
	(ख)	पता	
	(ग)	मोबाइल संख्या	
	(घ)	ई मेल	
	(ङ)	पैन	
	(च)	बैंक खाता	
	(i)	बैंक का नाम	
	(ii)	शाखा	
	(iii)	खाता संख्या	
	(iv)	आईएफएससी	

	(v)	प्राप्त विचार (रु)	
	(vi)	रसीद संख्या और तारीख	
<b>2. वाहन विवरण</b>			
	रजिस्ट्रीकरण संख्या		
	बनाना		
	मॉडल		
	वाहन श्रेणी		
	चेसिस संख्या		
	इंजन संख्या		
	निर्माण का महीना/ वर्ष		
<b>3. दस्तावेज</b>			
	(क)	रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाणपत्र	
	(ख)	स्टांप पेपर पर रजिस्ट्रीकृत स्वामी से प्राधिकरण	
	(ग)	अधिकृत प्रतिनिधि की पहचान और पते का प्रमाण, यदि लागू हो	
	(घ)	स्वामी की पहचान और पते का प्रमाण	
<b>4. प्ररूप -2 जमा करने के समय आवेदक द्वारा वचनबद्धता</b>			
<p>मैं/ हम..... निवासी..... के ..... द्वारा घोषित किया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा इस प्ररूप में दिए गए सभी विवरण सत्य और सही हैं; विषय वाहन किसी भी प्रकार की आपराधिक क्रियाकलाप /मुकदमेबाजी में शामिल नहीं है और यह महसूस करता है कि मैं/हम किसी भी झूठ के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।</p>			
<b>5. प्राधिकरण का पत्र</b>			
<p>1. .... के निवासी ..... के पुत्र/पुत्री वाहन रजिस्ट्रीकरण संख्या .....प्राधिकृत करते हैं ..... के पुत्र/पुत्री..... निवासी ..... के रूप में ऊपर बताए गए वाहन को स्कैपिंग के उद्देश्य से &lt; आरवीएसएफ नाम&gt; पर जमा करने के लिए मेरे विधिक अधिकार के रूप में ऊपर दी गई घोषणा।</p> <p>2. यह कि उपरोक्त अधिकृत व्यक्ति द्वारा जमा किया गया उक्त वाहन केवल सभी विधिक प्रयोजनों और आशाओं के लिए मेरे द्वारा जमा किया गया माना जाएगा।</p>			
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
(अधिकृत प्रतिनिधि)		(रजिस्ट्रीकृत वाहन स्वामी)	

	हस्ताक्षर प्रमाणित
	तारीख:
	स्थान:

**प्ररूप - 2क**

**वाहन जमा करने के समय आवेदक द्वारा का वचन**

**(नियम 10(1) के प्रति निर्देश)**

हम/हम,..... निवासी..... के घोषित करता हूं कि मेरे/हमारे द्वारा प्ररूप 2 आवेदन में प्रस्तुत सभी विवरण सत्य और सही हैं; रजिस्ट्रीकरण संख्या.....के साथ संबंधित वाहन किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि/मुकदमेबाजी में लिप्त नहीं है और यह महसूस करता है कि मैं/हम प्ररूप -2 में प्रस्तुत किसी भी झूठी घोषणा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। मैं/हम घोषणा करते हैं कि उक्त वाहन पर कोई बकाया नहीं है; उक्त वाहन के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में किराया-खरीद, पट्टा, या दृष्टिबंधक समझौता विधिवत निर्वहन किया गया है और मैं/हम इस <तारीख और समय टिकट> से पहले लंबित ऐसे किसी भी बकाया और शुल्क के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे और मैं/हम ऐसे सभी शुल्कों से रजिस्ट्रीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा < आरवीएसएफ नाम>..... की पूर्ण रूप से अस्वीकृति करते हैं।

**प्ररूप - 2ख**

**वाहन प्रस्तुत करते समय पर रजिस्ट्रीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) द्वारा उपक्रम**

**(नियम 10(1) के प्रति निर्देश)**

मैं/हम,..... <आरवीएसएफ नाम> की ओर से..... घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इसके पश्चात <तारीख और समय टिकट>..... रजिस्ट्रीकृत संख्या..... के साथ वाहन के अधीन प्रोद्भूत किसी भी प्रकार की आपराधिक क्रियाकलाप/मुकदमेबाजी के आरोपों और वित्तीय देय जैसे चालान, मोटर वाहन कर आदि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं और मैं/हम रजिस्ट्रीकृत वाहन स्वामी <नाम>..... को ऐसे सभी शुल्कों से पूर्ण रूप से माफ करता हूं/ करते हैं।

**प्ररूप -2ग**

## जमा प्रमाणपत्र (नियम 10(1) के प्रति निर्देश)



(सीडी की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए क्यूआर कोड)

## जमा प्रमाण पत्र

## प्रमाण पत्र सं.:

हम <आरवीएसएफ का नाम> प्रमाणित करते हैं कि वाहनों के निपटान के इन नियमों के अनुसार विवेचन के लिए तारीख ..... हमारी आवक संख्या.....द्वारा हमारी सुविधा पर ..... पहले रजिस्ट्रिकरण के वर्ष के साथ वाहन रजिस्ट्रिकरण संख्या.....को स्वीकार कर लिया गया है और तारीख..... भुगतान वाउचर संख्या.....द्वारा स्वामी को सहमत विचार का भुगतान किया गया है।

## वाहन की सूचना:

बनाना:	मॉडल:
वाहन की श्रेणी/वर्ग:	वाहन का प्रकार (परिवहन/गैर-परिवहन):
ईंधन का प्रकार:	घन क्षमता:
बैठने की क्षमता:	विनिर्माण का वर्ष (वर्ष):
सभी अनलोडेड वजन (किलो में):	सिलेडर्स की संख्या:
रजिस्ट्रिकृत सकल वाहन वजन (किलो में):	ब्रेकलब्रेस (मिमी):

इस प्रमाणपत्र का मालिक एक नए वाहन की खरीद पर निम्नलिखित लाभों का दावा करने का हकदार है। इनका लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।

1. सीएमवीआर, 1989 के नियम 81 के अनुसार पंजीकरण शुल्क में छूट
2. नए वाहन की खरीद की स्थिति में यथा निर्धारित मोटर वाहन कर पर रियायत
3. ऑटो ओईएम डीलरों के विवेक के अनुसार ऑटो ओईएम छूट

हम आगे प्रमाणित करते हैं, कि विवेचन पूरा होने पर, राष्ट्रीय रजिस्टर (वाहन डेटाबेस) और अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

यह प्रमाणपत्र <सीडी> के वर्तमान स्वामी के नाम पर है और ..... तक वैध है।

## जारी करने की तारीख :

आरवीएसएफ संख्या:

स्कैनिंग का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र :

(आरवीएसएफ का डिजिटल हस्ताक्षर)

अस्वीकरण: उपयोग के समय इस प्रमाण पत्र को सत्यापित करने की आवश्यकता है

## ट्रेडिंग जानकारी



**जमाराशि का अंतरण प्रमाणपत्र  
(नियम 10(1) के प्रति निर्देश)**

**प्रमाणपत्र सं.:**

प्रमाणपत्र वाहन..... रजिस्ट्रीकरण संख्या से संबंधित..... से..... पैन संख्या..... मोबाइल संख्या.....के साथ का व्यापार और हस्तांतरण कर दिया गया है

जमा प्रमाणपत्र (सीओडी)..... को जारी किया गया था और..... तक मान्य है

**वाहन की सूचना:**

बनाना	मॉडल
वाहन श्रेणी/वर्ग:	वाहन प्रकार (परिवहन/गैर-परिवहन):
ईंधन का प्रकार:	घन क्षमता:
बैठने की क्षमता	निर्माण का वर्ष ( व व व )
सभी अनलोडेड वजन (किलो में):	सिलेंडरो की संख्या
(रजिस्ट्रीकृत सकल वाहन वजन (किलो में):	व्हीलबेस (मिमी):

इस प्रमाणपत्र का स्वामी एक नए वाहन की खरीद पर निम्नलिखित लाभों का दावा करने का हकदार है। इन लाभों का फायदा केवल एक बार लिया जा सकता है।

1. सीएमवीआर, 1989 के नियम 81 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण शुल्क में छूट
2. नए वाहन की खरीद की स्थिति में निर्धारित मोटर वाहन कर पर छूट
3. ऑटो ओईएम डीलरों के विवेक के अनुसार ऑटो ओईएम छूट

व्यापार तारीख

सत्यमेव जयते

व्यापार संख्या

अस्वीकृति: **इस प्रमाण पत्र को उपयोग के समय सत्यापित करने की आवश्यकता है**

**ट्रेडिंग जानकारी**

आप इन 4 बुनियादी चरणों का पालन करके भी इस प्रमाणपत्र का व्यापार कर सकते हैं।



ट्रेड पर क्लिक करें  
या ट्रेडिंग पोर्टल पर  
जाएं

विक्रय के  
लिए अपनी  
कीमत कोट

खरीदार उद्धरण  
खरीद मूल्य

स्वामी आवंटित करता है और  
खरीदार पुष्टि करता है

**डीएससी हस्ताक्षर**

## जमा प्रमाणपत्र का व्यापार इतिहास

सीओडी स्वामी का नाम	व्यापार तारीख	व्यापार संदर्भ संख्या
	मूल स्वामी	



सत्यमेव जयते

**MORTH**  
Government of India

12. उक्त नियम के प्ररूप-3 में मास फ्लो से संबंधित क्रमांक 3 में,-

- (क) इनवर्डर्स से संबंधित मद क के अधीन, उप-मद v के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सकल योग (i+ii+iii+iv=X)" को रखा जाएगा;
- (ख) बाहर से संबंधित मद ख के अधीन, उप-मद (ix) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "उप कुल (क)" को रखा जाएगा;
- (ग) पुनः प्रसंस्करण के लिए खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित मद ग के अधीन, उप मद (vi) के सामने प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "उप-कुल (ख)" को रखा जाएगा;
- (घ) खतरनाक कचरे से लैंडफिल से संबंधित मद घ के अधीन, उप-मद (iii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "उप-कुल (ग)" को रखा जाएगा;
- (ङ) प्रविष्टि ड और च के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "सकल योग (क+ख+ग = वाई)" और "मास बैलेंस (एक्स-वाई)" प्रविष्टियों को रखा जाएगा।

13. उक्त नियम के प्ररूप-4 में,-

- (क) वाहन विवरण से संबंधित क्रम संख्या 4 में, मद घ के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, "विनिर्माण का वर्ष (व व)" प्रविष्टि को रखा जाएगा;
- (ख) क्रम संख्या 6 के सामने की प्रविष्टि में, "इसे देखने के लिए देखें" शब्दों के स्थान पर, शब्द "यह" रखा जाएगा।

[सं. आरटी-23013/01/2018-टी]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653 (अ), तारीख 23 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2022

**G.S.R. 695(E).**—Whereas, draft of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility Amendment) Rules, 2022 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 192 (E), dated the 10th March, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public on the 11th March, 2022;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 59 and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, (hereinafter referred as the said rules), in sub-rule (1) of rule 3, for clause (c), the following shall be substituted, namely: —

“(c) “Certificate of Deposit” means the certificate issued by the Registered Vehicle Scrapping Facility to recognise the submission of the vehicle from the registered owner to the said Registered Vehicle Scrapping Facility for further treatment;”.

3. In rule 4 of the said rules, —

- (a) sub-rule (2) shall be omitted;
- (b) in sub-rule (3), the words “as well as with the local Police” shall be omitted.

4. In rule 5 of the said rules, in clause (h), —

- (a) the words “industrial zone” shall be omitted;
- (b) sub-clause (i) shall be omitted.

5. In rule 6 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (ii), the words “, plus ninety days” shall be omitted.

6. In rule 7 of the said rules, in sub-rule (5), after the words “under this rule”, the words and figure “and rule 6” shall be inserted.

7. In rule 10 of the said rules, in sub-rule (1), —

(a) in the opening paragraph for the words “Registered Scrapper”, the words “Registered Vehicle Scrapping Facility” shall be substituted;

(b) for clauses (i) to (xxi), the following clauses shall be substituted, namely: —

“(i) The registered owner shall apply digitally on Vahan as per Form-2 to the Registered Vehicle Scrapping Facility or the designated Collection Centre for deposit and further treatment of the vehicle.

(ii) The Registered Vehicle Scrapping Facility and the designated Collection Centre shall also act as facilitation centres to support citizens with digital application of Form-2;

(iii) The following documents shall be uploaded along with Form-2 by the registered owner for verification by the Registered Vehicle Scrapping Facility, namely:—

- (a) identity and address proof of the owner such as passport, voter card, Aadhar card, driving license or other relevant identity card issued by the State Government or the Central Government;
- (b) letter of authorisation on stamp paper for the authorised representative as per para 5 of Form-2, applicable, if the vehicle is not to be submitted by the owner;
- (c) identity and address proof of the authorized representative (if applicable) such as passport, voter card, Aadhar card, driving license or other relevant identity card issued by the State Government or the Central Government.

(iv) The owner or his authorised representative shall submit the vehicle along with the original certificate of registration to the Registered Vehicle Scrapping Facility and sign a digital undertaking as per Form-2A.

(v) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall also sign a digital undertaking as per Form-2B

(vi) Vehicles impounded by an enforcement agency shall be handed over to the Registered Vehicle Scrapping Facility, if they meet the criteria for vehicle scrapping as provided under rule 8.

(vii) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall verify the records of the vehicles produced for scrapping through the Vahan portal including verification with the database of the stolen vehicles held by National Crime Records Bureau.

(viii) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall digitally remit or pay by an account payee cheque, the agreed consideration for the vehicle and obtain a receipt for the same from the owner or his authorised representative for record.

(ix) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall deface or punch the certificate of registration in the presence of the owner or his authorised representative and issue a digitally signed Certificate of Deposit in Vahan, as per Form-2C, as evidence of acceptance of vehicle for scrapping.

- (x) The Registered Vehicle Scrapping Facility established in a State may accept and scrap the vehicles registered in any of the State or Union territory under the jurisdiction of any Registration Authority.
- (xi) The whole process shall be seamlessly linked with Vahan on all India basis irrespective of the location of any vehicle registering authority.
- (xii) The Certificate of Deposit shall be a necessary and sufficient document for the owner to avail incentives and benefits for purchase of a new vehicle as may be declared from time to time and the validity of the said certificate shall be two years from the date of issuance.
- (xiii) The Certificate of Deposit shall be electronically tradeable.
- (xiv) The transfer Certificate of Deposit shall be generated on the trading platform for each new owner as per Form- 2D and the Certificate of Deposit once utilised shall be marked “Cancelled” in the Vahan database by the regional transport office or dealer providing the benefits to the bearer of the said certificate.
- (xv) The regional transport office or dealer registering the new vehicle purchased against the Certificate of Deposit shall verify and authenticate the Certificate of Deposit digitally.
- (xvi) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall facilitate the process of physical transmission of original certificate of registration (defaced or punched) along with Certificate of Vehicle Scrapping to road transport or regional transport office, in the State of registration of the vehicle, to get the vehicle registration cancelled.
- (xvii) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall have the cut piece of the chassis number in safe custody for a period of six months from the date of issue of Certificate of Vehicle Scrapping, issued under rule 11.
- (xviii) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall maintain digital scanned copy of all documents for a period of ten years for record and examination during inspection.
- (xix) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall ensure that removal or re-cycling or disposal of hazardous parts of the scrapped vehicle is done as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board for environmentally sound management of End-of-Life Vehicles and AIS-129.
- (xx) Vehicles shall not be scrapped until the fuel, oil, antifreeze, and other gases, fluids are drained and collected in certified standard containers.
- (xxi) A digital register of vehicles scrapped shall be maintained in Form-3.”.

8. In rule 11 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(1) The Registered Vehicle Scrapping Facility, after completing the necessary treatment, shall issue a digital Certificate of Vehicle Scrapping, including a digital photograph of the cut out of the chassis, in Form-4 to update the VAHAN Database and inform the competent authority of the State Government or Union territory Administration for updating of records of the vehicle.”.

9. In rule 13 of the said rules, —

(a) in sub-rule (8), in clause (b), the words “shredding, shearing, bailing” shall be omitted;

(b) for sub-rule (12), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(12) A Registered Vehicle Scrapping Facility may establish any collection centre at any other place, other than the Scrapping Yard and, if collection Centre undertakes activities such as, depollution and dismantling, then, the requirements applicable for a Registered Vehicle Scrapping Facility shall also be applicable to such Collection Centre.”.

10. In rule 14 of the said rules, in sub-rule (4), after the words “Registered Scrapper”, the words “and the cost of said audit and assessment shall be borne by the operator of such facility” shall be added.

11. For Forms 1 and 2 of the said rules, the following Forms shall be substituted, namely: —

**“FORM- 1**  
**(Refer rule 6(1))**  
**APPLICATION FOR REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY (RVSF)**

**1. FOR OFFICE USE**

Application for	Please tick as applicable
Registration for a new RVSF	
Renewal of Registration for existing RVSF	
Modification in existing registration	

APPLICATION NO	
APPLICATION DATE	
DATE	
FEE	
SECURITY DEPOSIT	

**2. GENERAL INFORMATION**

(i)	Name									
(ii)	Short name (max 35 chars)									
(iii)	Address									
(iv)	Tel									
(v)	FAX									
(vi)	Email									
(vii)	CIN									
(viii)	PAN									
(ix)	GST									
(x)	Status	Company	Firm	Trust	Society	Proprietor	Govt	JV	PPP	
(xi)	Attach	MoA				AoA				
(xii)	Existing Activities of the Company (National Industrial Classification Code)									

**3. PLANT DETAILS**

(a)	Location (Provide Map)			
(b)	Area (sq m)			
(c)	Possession Details	Owned	Lease/Period	Years
(d)	State			
(e)	District			

4. Proposed Activities of the Company	L Vehicles	Yes	No	Capacity	Nos
	M Vehicles	Yes	No	Capacity	Nos

	N Vehicles	Yes	No	Capacity		Nos
	Other	Yes	No	Capacity		Nos
<b>5. Proposed Capital Structure (INR Lakh)</b>	Authorized					
	Subscribed					
	Paid-Up					
<b>6. Proposed No of Employees</b>						

**7. Availability of Space**

(a)	Plant Design and Layout, showing following spaces and areas (sqm):-	
(b)	Earmarked area for the safe and environmentally compliant parking of waste vehicles (sqm)	
(c)	Designated areas for storing the segregated scrap (sqm)	
(d)	Space for processed scrap and usable parts (sqm)	
(e)	Designated space for temporary storage of automotive hazardous waste (sqm)	
(f)	Provision of space for parking and safe transportation of spares, scrap and waste products (sqm)	

**8. Availability of Equipment**

(a)	Certified de-polluting equipment	Yes	No
(b)	Certified de-risking equipment	Yes	No
(c)	Safety and occupational health equipment	Yes	No

**9. Environmental Clearance**

(a)	Consent to Establish	
(b)	Consent to Operate	

**10. Undertaking**

<b>The Applicant hereby undertakes to</b>			
(a)	Comply with CPCB Guidelines for the Safe Disposal of scrapped vehicles	Yes	No
(b)	Obtain the Quality Certifications within 12 Months of Issue of Registration		
	(i) ISO 9001	Yes	No
	(ii) ISO 14001	Yes	No
	(iii) ISO 45001	Yes	No
(c)	Comply with the Hazardous Waste Management Rules (2016)	Yes	No

Digital Signature/ Company Seal in case on offline form

--

Date

**FORM – 2**  
(Refer rule 10(1))  
**APPLICATION FOR VEHICLE SCRAPPING**

<b>1. OWNER DETAILS</b>		
(A)	NAME	
(B)	ADDRESS	
(C)	MOBILE NO	
(D)	E MAIL	
(E)	PAN	
(F)	BANK ACCOUNT	
	(i)	NAME OF BANK
	(ii)	BRANCH
	(iii)	ACCOUNT NUMBER
	(iv)	IFSC
	(v)	CONSIDERATION RECEIVED (Rs)
	(vi)	RECEIPT NO AND DATE
<b>2. VEHICLE DETAILS</b>		
	REGISTRATION NO	
	MAKE	
	MODEL	
	VEHICLE CATEGORY	
	CHASSIS NO	
	ENGINE NO	
	MONTH/YEAR OF MANUFACTURE	
<b>3. DOCUMENTS</b>		
(A)	Original Certificate of Registration.	
(B)	Authorization from the registered owner on stamp paper	
(C)	Identity and address proof of the authorised representative, if applicable	
(D)	Identity and address proof of the owner	
<b>4. UNDERTAKING BY APPLICANT AT TIME OF FORM-2 SUBMISSION</b>		
	I/We ,..... Resident of ..... hereby declare that all the particulars furnished by me / us in this form are true and correct; the subject vehicle is not engaged in any kind of criminal activity/litigation and realize that I/WE are fully liable for any false declaration furnished above.	
<b>5. LETTER OF AUTHORISATION</b>		
1.	I.....son/daughter of.....resident of.....owner of vehicle registration	

number.....do hereby authorise..... son/ daughter of..... resident  
of.....as my legal authority to deposit the above stated vehicle for the purpose of scrapping at the  
<RVSF Name>

2. That the above stated vehicle deposited by the above stated authorized person shall be deemed as if  
deposited by me only for all legal purposes and intents

Signature  
(Authorized Representative)

Signature  
(Registered vehicle owner)

Signature attested

Date:

Place:

**FORM – 2A**  
**UNDERTAKING BY APPLICANT AT THE TIME OF VEHICLE SUBMISSION**  
*(Refer rule 10(1))*

I/ We,..... Resident of  
..... hereby declare that all the particulars furnished by me / us in Form 2  
application are true and correct; the subject vehicle with registration number..... is not engaged in  
any kind of criminal activity/litigation and realize that I/We are fully liable for any false declaration furnished  
in Form-2. I/We hereby declare that there are no pending dues on the said vehicle; the hire-purchase, lease, or  
hypothecation agreement in the certificate of registration of the said vehicle has been duly discharged and  
that I/We shall be fully liable for any such dues and charge pending before this <date and time stamp> and  
I/We fully indemnify the Registered Vehicle Scrapping Facility <RVSF name>..... from all such charges.

**FORM – 2B**  
**UNDERTAKING BY REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY (RVSF) AT THE TIME**  
**OF VEHICLE SUBMISSION**  
*(Refer rule 10(1))*

I/We,.....on behalf of <RVSF Name>  
..... hereby declare that I/We are fully liable for any kind of criminal  
activity/litigation charges and financial dues such as challans, motor vehicle tax etc. accrued on the subject  
vehicle with registration number..... after this <date and time stamp> and I/We fully indemnify the  
registered vehicle owner <name>..... from all such charges.

**FORM – 2C**  
**CERTIFICATE OF DEPOSIT**  
*(Refer rule 10(1))*



(QR code for validation of Certificate of Deposit)

## CERTIFICATE OF DEPOSIT

### Certificate No:

We <RVSF Name> certify that **Vehicle Registration No**..... with **Year of first registration** as ..... has been accepted at our facility vide our **Inward No**..... **dated**..... for treatment in accordance with these rules for the Disposal of Vehicles and the agreed consideration has been paid to the owner vide our **Payment Voucher No**..... **dated**.....

### Vehicle Details:

Make:	Model:
Vehicle Category/Class:	Vehicle Type (Transport/Non-Transport):
Fuel type:	Cubic capacity:
Seating capacity (in all):	Year of manufacturing (YYYY):
Unladen weight (kgs):	Number of cylinders:
Registered gross vehicle weight (kgs):	Wheelbase (mm):

The owner of this certificate is entitled to claim the following benefits on purchase of one new vehicle. These benefits can be availed only once.

1. Registration fee waiver as per Rule 81 of CMVR, 1989
2. Concession on motor vehicle tax as prescribed in the state of purchase of new vehicle
3. Auto OEM discount as per the discretion of auto OEM dealers

We further certify, that on completion of Treatment, the National Register (VAHAN Database) and the competent authority would be intimated for updating records.

This certificate is in the name of <current owner of CD> and is valid until.....

**Date of issuance:**

**State/UT of scrapping:**

**RVSF No:**

(Digital signature of RVSF)

**Disclaimer:** This certificate needs to be validated at the time of utilization

### Trading Information

You can also trade this certificate by following these 4 basic steps.



**Certificate No.:**

The certificate has been traded and transferred to..... with Mobile No....., PAN No.  
.....from....., pertinent to the Vehicle Registration No.....

The Certificate of Deposit (COD) was issued on..... and is valid until.....

**Vehicle Details:**

Make:	Model:
Vehicle Category/Class:	Vehicle Type (Transport/Non-Transport):
Fuel type:	Cubic capacity:
Seating capacity (in all):	Year of manufacturing (YYYY):
Unladen weight (kgs):	Number of cylinders:
Registered gross vehicle weight (kgs):	Wheelbase (mm):

The owner of this certificate is entitled to claim the following benefits on purchase of one new vehicle. These benefits can be availed only once.

1. Registration fee waiver as per Rule 81 of CMVR, 1989
2. Concession on motor vehicle tax as prescribed in the state of purchase of new vehicle
3. Auto OEM discount as per the discretion of auto OEM dealers

Trade Date:

Trade No.:

Disclaimer: *This certificate needs to be validated at the time of utilization*

**Trading Information**

You can also trade this certificate by following these 4 basic steps.



DSC Signature

## Trade History of Certificate of Deposit

COD Owner Name	Trade date	Trade Reference No.
	Original Owner	



सत्यमेव जयते

**MORTH**  
Government of India

”.

12. In Form-3 of the said rules, in serial number 3 relating to MASS FLOW, –

- (a) under item A relating to INWARDS, for the entry against sub-item v, the entry “GRAND TOTAL (i+ii+iii+iv=X)” shall be substituted;

- (b) under item B relating to OUTWARDS, for the entry against sub-item (ix), the entry “SUB-TOTAL (a)” shall be substituted;
- (c) under item C relating to HAZARDOUS WASTE FOR REPROCESSING, for the entry against sub-item (vi), the entry “SUB-TOTAL (b)” shall be substituted;
- (d) under item D relating to HAZARDOUS WASTE TO LANDFILL, for the entry against sub-item (iii), the entry “SUB-TOTAL (c)” shall be substituted;
- (e) for the entries against items E and F, the entries “GRAND TOTAL (a+b+c=Y)” and “MASS BALANCE (X-Y)” shall be respectively be substituted.

13. In Form-4 of the said rules,—

(a) in serial number 4 relating to VEHICLE DETAILS, for the entry against item d, the entry “Year of Manufacture (YY)” shall be substituted;

(b) in the entry against serial number 6, for the words “View forgoing it”, the word “It” shall be substituted.

[No. RT-23013/01/2018-T]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy

**Note.** – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* Notification number G.S.R. 653 (E), dated the 23rd September, 2021.